भारत सरकार Government of India

विधि एवं न्याय मंत्रालय Ministry of Law & Justice

विधि कार्य विभाग Department of Legal Affairs

आयकर अपीलीय अधिकरण INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL

बुलेटिन

अप्रैल – दिसंबर 2012

BULLETIN

APR – DEC 2012

e-Bench

केवल विभागीय प्रयोजन हेतु FOR DEPARTMENTAL PURPOSE ONLY

अध्यक्ष का पृष्ठ

सत्यमेव जयते

एच एल कारवा
अध्यक्ष
आयकर अपीलीय अधिकरण

प्रिय भाईयों एवं बहनों,

आयकर अपीलीय अधिकरण की विभागीय राजभाषा पत्रिका "बुलेटिन" के इस अंक के प्रकाशन के अवसर पर मैं अधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समक्ष अपने संस्थान की बहुमूल्य उपलब्धियों की चर्चा करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा हूं। विज्ञान एवं तकनीक के विकास के साथ-साथ भारत सरकार के अन्य संस्थानों की भांति आयकर अपीलीय अधिकरण में भी विकास की प्रक्रिया जारी है। आयकर अपीलीय अधिकरण के न्यायिक कार्यों के साथ राजभाषा हिंदी का सुचारू कार्यान्वयन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है किंतु सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से हमारे संस्थान में विधि कार्य एवं राजभाषा हिंदी साथ-साथ निर्विघ्न रुप से अग्रसर हो रहे हैं।

आधुनिक युग में विकास के साथ नई तकनीक के प्रयोग ने हमारे संस्थान को ई-कोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराकर "**सुलभ न्याय एवं सत्वर न्याय**" के नारे को सार्थक किया है। आयकर अपीलीय अधिकरण में दिनांक 10.12.2012 को ई-कोर्ट का शुभारंभ हुआ तथा मुंबई पीठ और नागपुर पीठ को नेट संयोजकता (Net Connectivity) से जोड़कर मामलों की सुनवाई की जा रही है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। न्याय में होने वाले विलंब को दूर करने की सरकार की नीति का कार्यान्वयन एवं आम जनता के अपीलों पर सत्वर न्याय पहुंचाने में "ई-कोर्ट" आयकर अपीलीय अधिकरण का बहुमूल्य कदम है। इसी क्रम में इलाहाबाद पीठ एवं दिल्ली पीठ को ई-कोर्ट से जोड़ा गया है जिससे इलाहाबाद पीठ के मामलों की सुनवाई दिल्ली पीठ में होगी। विशाखापट्टनम पीठ में भी ई-कोर्ट की सुविधा प्रारंभ करने हेतु कार्य जारी है। भविष्य में सभी अकार्यरत (Non-functioning) पीठों में ई-कोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराकर संस्थान के "सुलभ न्याय एवं सत्वर न्याय" के नारे को और मजबूत बनाने का प्रयास जारी है।

अधिकरण के सभी पीठों का स्वयं का भवन हो, अधिकरण परिवार के सभी सदस्यों का यह एक चिरकालीन सपना है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने अपने पत्र, दिनांक 18/20.09.2012 द्वारा जयपुर पीठ के लिए कार्यालय सह निवास परिसर के निर्माण हेतु रू. 20 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है तथा निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। निर्माण कार्य पूरा होते ही जयपुर पीठ का स्वयं का कार्यालय भवन एवं निवास परिसर का सपना सार्थक हो जाएगा। बेंगलूरू पीठ के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए रू.18.75 करोड़ का प्रस्ताव विधि एवं न्याय मंत्रालय की स्वीकृति हेतु भेजा गया है। आयकर अपीलीय अधिकरण, हैदराबाद पीठ बहुत जल्द ही केन्द्र सरकार भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। पुणे पीठ भी जगह की कमी के कारण नये स्थान पर स्थानांतरित किया गया है।

आयकर अपीलीय अधिकरण में कई पदों के रिक्त पड़ने से होने वाली असुविधाओं को दूर करने का प्रयास तीव्र गति से जारी है। आयकर अपीलीय अधिकरण में दिनांक 01.11.2012 को 02 नए सदस्यों ने कार्यभार ग्रहण किया है। पंजीकार एवं उप पंजीकार के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरने के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है जो विचाराधीन है। सहायक पंजीकार के रिक्त पदों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति द्वारा भरा जाना है। संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा सहायक पंजीकार के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव अधिकरण के मुख्यालय द्वारा मंत्रालय को भेजा गया है जो मंत्रालय में विचाराधीन है। पदोन्नति द्वारा सहायक पंजीकार के पदों को भरने के लिए जल्द ही प्रस्ताव मंत्रालय भेजा जाएगा। आयकर अपीलीय अधिकरण में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए तीव्र गति से मामलों की सुनवाई तथा निपटान किया जा रहा है जिससे वरिष्ठ निजी सचिवों/ निजी सचिवों पर भी कार्य का अत्यधिक भार है। अधिकरण में वरिष्ठ निजी सचिवों/ निजी सचिवों की कमी को दूर करने के लिए 41 वरिष्ठ निजी सचिवों/ निजी सचिवों का चयन किया गया है जिनमें से 20 वरिष्ठ निजी सचिवों/ निजी सचिवों की नियुक्ति की जा चुकी है जो दिनांक 11.03.2013 तक अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। अधिकरण में कार्यरत तृतीय श्रेणी के तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने हेतु "उच्च अधिकार प्राप्त समिति" गठित करने का निर्देश दिया गया है। समिति शीघ्र अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिस पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार अधिकरण के कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए एम.ए.सी.पी. के अंतर्गत 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवा दे चुके कर्मचारियों को वित्तीय प्रोन्नति देने का प्रावधान है। इसके कार्यान्वयन के लिए समिति का गठन किया है और जल्द ही समिति की बैठक होगी।

अनेकता में एकता को कायम रखने वाले इस देश के विभिन्न राज्यों में स्थित आयकर अपीलीय अधिकरण के पीठों में कार्यरत सभी भाईयों एवं बहनों के सहयोग से यह संस्थान कार्य कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का सहयोग हमें निरंतर मिलता रहेगा तथा हम सभी के परिश्रम, लगन, निष्ठा और इमानदारी से यह संस्थान विकास की सीढियां चढ़ते हुए पूरे भारतवर्ष के लिए एक उदाहरण बनकर सामने आएगा।

नव वर्ष, 2013 आप सभी के लिए मंगलमय हो!

एच.एल. कारवा

बुलेटिन

अप्रेल 2012 - दिसंबर 2012

संरक्षक

श्री एच. एल. कारवा
माननीय अध्यक्ष
आयकर अपीलीय अधिकरण

मुख्य संपादक

श्री दिनेश कुमार अग्रवाल
न्यायिक सदस्य एवं
अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई

उप संपादक

श्री पी के बिजु, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, मुंबई

कु आशा पाल, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, मुंबई

डिज़ाइन & टंकण

श्री एम एन वीरावधानि, उ.श्रे.लि, मुंबई

श्री तरुण कुमार, उ.श्रे.लि, मुंबई

प्रकाशन एवं मुद्रण
आयकर अपीलीय अधिकरण,
तीसरा एवं चौथा तल, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षी कार्वे मार्ग, मुंबई - 400020
वेबसाईट: http://itat.nic.in

सत्यमेव जयते

श्री दिनेश कुमार अग्रवाल
न्यायिक सदस्य एवं
अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति

संपादकीय

नूतन वर्ष का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सभी को मंगलमय वर्ष की शुभकामनाएं। बुलेटिन का नवीन अंक आपको समर्पित करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। आयकर अपीलीय अधिकरण अपनी न्यायिक सक्रियता के दौर में नित अग्रसर होते हुए भी इस बुलेटिन के माध्यम से पुनः राजभाषा हिंदी में तादात्म्य स्थापित करने हेतु आपके समक्ष उपस्थित है।

भाषा से समाज तथा संस्कृति का अटूट संबंध है। राजभाषा हिंदी से हमारे देश की संस्कृति परिभाषित होती है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा का तात्पर्य है राजकाज की भाषा, जो हमारे देश के प्रशासन द्वारा प्रयोग में लाई जाती है और जो विभिन्न राज्यों तथा भाषायी वर्गों के लोगों को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। जिस तरह नदियों में पानी स्वयं बहता है, हवाएं स्वयं चलती है, उनको गति देने की आवश्यकता नहीं होती और न हीं उनकी गति को रोकना संभव है, उसी तरह भारत में हिंदी एक नैसर्गिक भाषा का रूप ले चुकी है। हिंदी की गति अबाध है, यह हिंदुस्तान के घर-घर में प्रयोग होती है, यह स्वयं बढ़ रही है और बढ़ते ही जाएगी क्योंकि यह एक आम हिंदुस्तानी की भाषा बन चुकी है। हमारे संविधान में भी हिंदी को राजभाषा बनाए जाने की आवश्यकता इस प्रकार रखी गई है कि हिंदी किसी के ऊपर थोपी न जाए बल्कि इसे स्वेच्छा से अपनाया जाए। हिंदी के प्रचार-प्रसार का अर्थ यह नहीं है कि किसी अन्य भाषा के प्रभाव को कम किया जा सके। हर भाषा की अपनी गरिमा तथा उपयोगिता होती है जिसका हम सम्मान करते हैं।

आयकर अपीलीय अधिकरण हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। अधिकरण की पीठों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए माननीय अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण ने वर्ष 2012-13 में सभी पीठों में हिंदी पखवाड़े के आयोजन हेतु रू. 3,63,000/- (तीन लाख तिरेसठ हजार रूपये) की स्वीकृति प्रदान की। इससे अधिकरण की सभी पीठों में सितंबर, 2012 के महीने में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया जिसमें हिंदी की अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और अधिकांश राशि पुरस्कार के रुप में वितरित की गई। ऐसे प्रतियोगिताओं के आयोजन से अधिकारी/कर्मचारी हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इसी प्रकार माननीय अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण ने वर्ष 2012-13 में सभी पीठों में हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए 1,93,000/-(एक लाख तिरानवे हजार रुपये) की स्वीकृति प्रदान की। अधिकरण की पीठों में हिंदी की रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तकों की खरीद और पठन-पाठन से निश्चित रुप से अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी के ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। आयकर अपीलीय अधिकरण में हिंदी का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है और अधिकरण की पीठों में विस्तृत रुप में हिंदी में कार्य किए जा रहे हैं। सितंबर, 2012 को समाप्त तिमाही में अधिकरण की "क" क्षेत्र में स्थित पीठों द्वारा 85.69%, "ख" क्षेत्र में स्थित पीठों द्वारा 67.20% तथा "ग" क्षेत्र में स्थित पीठों द्वारा 56.66% पत्राचार हिंदी में किया गया हैं। इससे स्पष्ट है कि आयकर अपीलीय अधिकरण में हिंदी का प्रचार-प्रसार तेजी से हो रहा है।

वस्तुतः किसी पत्रिका के रचनाकारों का योगदान उस नींव की ईट के समान है जिसकी आधार शिला पर किसी अट्टालिका की भव्यता और सौंदर्य कायम रहता है। यह बुलेटिन भी ट्रिब्यूनल परिवार की लेखकीय प्रतिभा को उजागर करती रही है और दिनों-दिन अपने बहुआयामी स्वरुप को अंगीकार करते हुए संप्रेषण का सशक्त माध्यम बनती जा रही है। प्रत्येक अंक अनेक रचनाओं, कविताओं, विविध विषयों से ओतप्रोत है और इसी के परिणामस्वरुप यह राजभाषा के प्रचार-प्रसार में अपनी महती भूमिका निभा रही है। इस पत्रिका ने अपनी गुणवता और उपयोगिता को बरकरार रखते हुए तथा आप सभी के सफल और सक्रिय भागीदारी को आत्मसात् करते हुए राजभाषा की उन्नति में अपनी सहभागिता को प्रतिस्थापित किया है।

मैं आयकर अपीलीय अधिकरण के उन सभी उदयीमान रचनाकारों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी रचनाएं हमें भेजकर इस पत्रिका की रचनाधर्मिता और प्रासंगिकता को अक्षुण्ण बनाए रखा है। आशा है कि आगामी अंकों के लिए आपका सुझाव, भागीदारी और लेखन-सहयोग हमें पूर्ववत प्राप्त होता रहेगा और बुलेटिन के माध्यम से हम और आप आयकर अपीलीय अधिकरण में राजभाषा को दृढ़ता और स्थायी आधार प्रदान कर राजभाषा हिंदी को अधिकरण की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनाने में सफल होंगे।

जैसा विदित है कि निवर्तन की आयु प्राप्त कर 28 फरवरी, 2013 को मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूं और मुझे खुशी है कि कार्यकाल के अंतिम एक वर्ष 10 महीनों तक अध्यक्ष, रा.भा.का.स., मुंबई के पद पर रहकर राजभाषा हिंदी की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण का आभारी हूं जिन्होने इस योग्य समझकर मुझे यह दायित्व सौंपा। मैं श्री एच.एल. कारवा, माननीय अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण का विशेष रुप से आभारी हूं जिनका मार्गदर्शन, सहयोग और प्रोत्साहन मुझे राजभाषा हिंदी के उत्थान के लिए निरंतर मिलता रहा। मैं उपाध्यक्ष, मुंबई क्षेत्र, अधिकरण के सभी सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होने मुझे समय-समय पर अपना सहयोग एवं बहुमूल्य सुझाव दिए। जिस परिश्रम, लगन और निष्ठा से हिंदी अनुभाग, मुंबई पीठ के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, मैं उसकी भी सराहना करता हूं। अंत में, मैं माननीय अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा नामित किए जाने वाले आगामी राजभाषा अध्यक्ष, मुंबई पीठ को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि उनके कार्यकाल में मुंबई पीठ में राजभाषा हिंदी और अधिक प्रखर एवं सबल होगी।

सादर,

शुभकामनाओं के साथ

दिनेश कुमार अग्रवाल

विवरणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
अध्यक्ष का पृष्ठ		1-2
संपादकीय		3-4
विश्व पटल पर हिंदी	श्री जोगिन्दर सिंह, न्यायिक सदस्य, इंदौर	5-6
मोटापा पर योग का प्रभाव	श्री जोगिन्दर सिंह, न्यायिक सदस्य, इंदौर	7-8
दवाई	श्री राजेन्द्र, लेखा सदस्य, मुंबई	9-14
सुनहरी यादेः भाग-4	श्री कौशल कुमार, सहायक पंजीकार, कोलकाता	15-16
भाषा की गाथा	श्री राजेन्द्र कुमार कश्यप,वरिष्ठ निजी सचिव, चंडीगढ़	17
हिंदी मातृभाषा	श्रीमती सरोजबाला, कार्यालय अधीक्षक, चंडीगढ़	18
सच में जीती है जीवन चिडियां	श्री पी.के. बिजु, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, मुंबई	18
बाबा अमरनाथ की मेरी अविस्मरणीय यात्रा	श्री ए.जे. जोषी, मुख्य लिपिक, अहमदाबाद	19
राजभाषा हिंदी	श्री तरुण कुमार, उच्च श्रेणी लिपिक, मुंबई	20
जब याद तुम्हारी आती है	श्री बी.एस. सोनी, उच्च श्रेणी लिपिक, अहमदाबाद	20
बिटिया	श्री अशोक सिंह, उच्च श्रेणी लिपिक, जबलपुर	21
नारी तुम केवल श्रद्धा हो	श्री राम प्रकाश कुमार, अवर श्रेणी लिपिक, जबलपुर	22-23
धरती एवं माता	श्री अभिराम कुमार, अवर श्रेणी लिपिक, हैदराबाद	24
अजन्मी बेटी करे पुकार	श्री विनोद पाटनकर, स्टाफ कार चालक, इंदौर	24
नियुक्तियाँ एवं सेवा निवृत्तियाँ		25-26
न्यायिक आदेश का हिंदी अनुवाद	श्री एच.एल. कारवा, माननीय उपाध्यक्ष, चंडीगढ़ क्षेत्र	27-29
न्यायिक आदेश का हिंदी अनुवाद	श्री डी.के. अग्रवाल, न्यायिक सदस्य, मुंबई पीठ	30-32
न्यायिक आदेश का हिंदी अनुवाद	श्रीमती पी. माधवी देवी, न्यायिक सदस्य, बेंगलूरु पीठ	33-34
मुंबई पीठ के हिंदी पखवाड़ा-2012 का छायाचित्र		35-36

विश्व पटल पर हिन्दी

श्री जोगिन्दर सिंह
माननीय न्यायिक सदस्य
तथा अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकारी
कर्मचारी कल्याण समन्वय
समिति, इंदौर।

संयुक्त राष्ट्र की 06 आधिकारिक भाषाएं हैं – 1. चीनी 2. स्पेनिश 3. अंग्रेजी 4. अरबी 5. रूसी 6. फ्रेंच। भारत की जनसंख्या और अनिवासी भारतीयों की संख्या के लिहाज से हिंदी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषाओं में द्वितीय स्थान पर है। हिंदी की झंडाबरदारी करने वालों ने हमेशा हिंदी के विकास के नाम पर अपने हित साधे हैं लेकिन हिंदी का जीवट देखिए, इस भाषा ने अपने और अपने बोलनेवालों के दम पर ही अपना प्रसार पूरे विश्व में किया है।

भाषायी आंकड़ो की दृष्टि से सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की 06 आधिकारिक भाषाओं की तुलना में हिंदी की स्थिति इस प्रकार है-

1.	चीनी	80 करोड़
2.	हिंदी	55 करोड़
3.	स्पेनिश	40 करोड़
4.	अंग्रेजी	40 करोड़
5.	अरबी	20 करोड़
6.	रूसी	17 करोड़
7.	फ्रेंच	9 करोड़

बेशक चीनी भाषा बोलनेवालों की संख्या हिंदी भाषा से अधिक है, किंतु चीनी भाषा का प्रयोग क्षेत्र हिंदी की अपेक्षा सीमित है। हिंदी के प्रति जो एक और षड़यंत्र किया जाता है, वह यह है कि जब भारत में हिंदी का सर्वेक्षण किया जाता है तो हिंदी की उपभाषाओं को हिंदी से पृथक कर देखते हैं। जबकि डॉ जयंती प्रसाद नौटियाल ने अपने वर्षों के सर्वेक्षण में चौंकाने वाले तथ्य एकत्रित किए हैं। डॉ. नौटियाल के अनुसार हिंदी जानने वालों की संख्या 1 अरब 10 करोड़ 30 लाख है जबकि चीनी भाषा जानने वालों की सिर्फ 1 अरब 6 करोड़। इस तरह हिंदी नंबर एक है।

विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जहां भारतीय मूल के अप्रवासी नागरिकों की आबादी उस देश की आबादी की 40 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां भारतीय मूल के अप्रवासी जीवन के विविध क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग करते हैं। हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। विश्व के अनेक देश हिंदी को विश्व भाषा के रुप में सीखते हैं, पढ़ते हैं तथा लिखते हैं। इन देशों की शिक्षण संस्थाओं में प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक हिंदी के पठन-पाठन की व्यवस्था है। विश्व विधालयों में हिंदी में शोध कार्य करने, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने की भी व्यवस्था है। इनमें अमेरिका, कनाडा, रुस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों का समावेश है।

अमेरिका में 02 करोड़ से अधिक भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं। वहां के हार्वर्ड, पेन मिशिगन येल आदि विश्वविधालयों में हिंदी का शिक्षण हो रहा है। अमेरिका में लगभग 75 विश्वविधालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। अमेरिका में हिंदी के लिए कई संस्थाएं कार्य कर रही है जिसमें अंतराष्ट्रीय हिंदी समिति, विश्व हिंदी समिति, हिंदी न्यास आदि प्रमुख हैं। इतना ही नहीं वहां "विश्वा", "सौरभ", "हिंदी जगत", "विश्व विवेक' आदि कई प्रमुख हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं।

इंग्लैंड के केम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, लंदन, यार्के विश्वविधालयों में हिंदी की पढ़ाई काफी समय से होती आ रही है। इंग्लैंड, वेल्स और स्काटलैंड में 2004-05 के स्कूल सर्वे में बच्चों की भारी संख्या ने अपने-आपको हिंदी भाषी बताया था। इसके अतिरिक्त साहित्य के क्षेत्र में हिंदी के लिए कई संस्थाएं सक्रिय है जिनमें भारतीय भाषा संगम, गीतांजलि, यू.के. हिंदी समिति, कृति इंटरनेशनल प्रमुख हैं। इसके साथ ही वहां हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में कविताओं और कहानियों की पुस्तकों का प्रकाशन बहुत तेजी से बढ़ा है।

मॉरीशस में हिंदी को सर्वाधिक गरिमा प्राप्त है। मॉरीशस विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां की संसद ने हिंदी के वैश्विक प्रचार के लिए और उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा के रुप में प्रतिष्ठित करने के लिए 'विश्व हिंदी सचिवालय' की स्थापना की है। 12 लाख की आबादी वाले इस द्वीप में 05 लाख हिंदी भाषी हैं। यहां प्राथमिक पाठशाला से लेकर विश्वविधालय तक हिंदी पढ़ाई जाती है। रेडियो और टेलिविजन पर दिनरात हिंदी में कार्यक्रम चलते रहते हैं।

नीदरलैंडस् में लगभग सवा दो लाख भारतवंशी है। यहां हिंदी परिषद, हिंदी प्रचार संस्था, लायडन विश्वविधालय, डच हिंदी समिति आदि संस्थाएं कार्यरत हैं। हिंदी प्रचार-प्रसार में रेडियों और टी.वी. स्टेशनों पर हिंदी कार्यक्रम आते रहते हैं। यहां हिन्दी ब्रॉड कास्टिंग कॉरपोरेशन 'ओउम्' डच सरकार का मीडिया है।

पोलैंड में हिंदी भाषा और साहित्य वारसा, काकूब और पोजनान के विश्वविधालयों में पढ़ाया जाता है। प्रो. शायेर, डॉ. रूकोव्स्का, प्रो. एम.के. ब्रिस्की आदि ने हिंदी की विविध रचनाओं का अनुवाद किया है। हिंदी लेखकों में प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, फनीश्वरनाथ रेणु, अज्ञेय आदि रचनाकारों की रचनाएं अनुवाद के माध्यम से पोलिश भाषा मे उपलब्ध है।

रूस में प्रारंभ से ही लोग हिंदी में रूचि लेते रहे हैं। वहां प्राथमिक स्तर से विश्वविधालय स्तर तक हिंदी का

पठन-पाठन होता है। मास्को अंतराष्ट्रीय संबंध संस्थान, मास्को विश्वविधालय सहित दो दर्जन संस्थानों में डेढ़ हजार से अधिक रूसी छात्र हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र, मास्को की भी हिंदी के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में हिंदी के अध्ययन में रूसी लोगों की रूचि निरंतर बढ़ रही है।

फीजी में हिंदी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के उद्भव एवं विकास में पं. तोताराम सनाढ़य, पं. रामचंद्र शर्मा का उल्लेखनीय योगदान रहा। फिजी का टूटी-फूटी जानने वाला श्रमिक समाज जो टूटी-फूटी हिन्दी जानता था छुरी, कुदाली, सब्बल से फिजी के जंगल को फतह करन वाले कोलोनियल शुगर रिफाइनिंग कंपनी में भजन-कीर्तन, सत्यनारायण की कथा, आरती जैसी भारतीय परंपराओं को जीवित बनाए रखा। इन श्रमिकों के साथ भारतीय त्योहार भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। वहां अनेक पेड़-पौधों के वही नाम हैं जो भारत में हैं- तुलसी, चंदन, आम, नींबू, इमली, बेल तथा शाक-सब्जियों के वही भारतीय नाम हैं। फिजी के बाजारों, गली-कूचों में हिंदी स्वतंत्र रूप से बह रही है।

चीन का भारत से बहुत पुराना संबंध रहा है। चीन के पेचिंग विश्वविधालय, नानचिड विश्वविधालय में हिंदी पठन-पाठन की व्यवस्था है। प्रो. ची. श्येन द्वारा स्थापित 'भारत विधा विभाग' चीन का महत्वपूर्ण संस्थान है। प्रो. ची. श्येन ने वाल्मिकी रामायण, गोदान, राग दरबारी, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का भी चीनी भाषा में अनुवाद किया है।

कुछ देशों का भारत के साथ व्यापार बढ़ा तो वहां के छात्रों ने समझा कि भारत में व्यापार करने वाली कंपनियां उन्हें अपने दफ्तरों में नौकरी दे देंगी, क्योंकि वे वहां बोली जाने वाली भाषा जानते हैं। कुछ कंपनियों ने रोजगार दिया भी, परन्तु शीघ्र ही पोल खुल गई। इन व्यापार करने वाली कंपनियों ने सोचा कि देश के जिन लोगों से भारत में उनका सरोकार पड़ता है, वे तो सब अंग्रजी बोलते हैं। पत्र-व्यवहार और लिखित कार्य अंग्रेजी में होता है, तब ये हिंदी पढ़े-लिखे छात्र बेकार सिद्ध हो गए। कंपनियों ने भी हिंदी के छात्रों को हटाकर अंग्रेजी जानने वाले छात्रों को लेना शुरू कर दिया। यह विडंबना भी हमारे देश में ही देखने को मिलता है कि दूसरे देश से लोग हमसे हिंदी में बात करने के लिए, हिंदी सीखकर आते हैं और हम अंग्रेजी झाड़ते हैं।

यह सच है कि हिंदी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषा है। यह भी सच है कि हिंदी बोलने वाले विश्व की सबसे बड़ी भाषाओं में गिने जाते हैं। यहां तक कि प्रवासी भारतीयों की सांस्कृतिक भाषा भी हिंदी है। कहने का आशय यह है कि एक तरफ हिंदी ने अपना वर्चस्व अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, आस्ट्रेलिया महाद्वीपों के 93 देशों में फैला रखा है। वहीं दूसरी तरफ यह विडंबना ही है कि जो भाषा विश्व भाषा बनने की राह पर अग्रसर है, वह अपने ही देश में राष्ट्रभाषा बनने से वंचित है। हिंदी सबसे अधिक अपने ही देश में उपेक्षा का शिकार है। यहां के विश्वविधालय हो या हिंदी से संबंधित सरकारी कार्यालय, या भारतीय दूतावास हो, हिंदी के प्रति सबका रवैया उपेक्षात्मक ही रहता है। हमने हिंदी को कभी गंभीरता से नहीं लिया। हिंदी अपने प्रयास से विश्व के कोने-कोने में पहुंची है। भूमंडलीकरण के इस दौर में टी.वी., हिंदी फिल्में, दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों ने हिंदी के प्रचार-प्रसार में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। हिंदी की लोकप्रियता देखते हुए तमाम विदेशी चैनलों ने अपने कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित करना प्रारंभ कर दिया है, जैसे- डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी आदि। इसके अतिरिक्त कई विदेशी फिल्में और धारावाहिक भी हिंदी में आ रहे हैं। परन्तु हमारे यहां रवैया हिंदी के प्रति ढुलमुल ही रहा है। यह चिंतनीय है। कभी-कभी लगता है कि अपने ही देश में हिंदी आंकड़ों के जाल में उलझकर, सिसक-सिसककर दम न तोड़ दे।

यद्यपि, इस अंधेरे में भी आशा की एक किरण दिखती है। राष्ट्रभाषा हिंदी को उसका उचित स्थान दिलवाने हेतु अनेक संस्थान अथक प्रयास कर रहे हैं। अनेक राष्ट्रप्रेमी व्यक्तिगत स्तर पर हिंदी को उचित सम्मान दिलवाने के लिए प्रयासरत है। विदेशी भाषाओं का ज्ञान रखना उत्तम बात है क्योंकि संवाद, संपर्क, व्यापार और व्यवहार के लिए यह आवश्यक है परंतु अन्य देश की भाषा का राष्ट्रभाषा के रुप में प्रयोग करना, यह घोर अपमान और शर्म की बात है। विश्व का कोई भी देश अपने नागरिकों को विदेशी भाषा में शिक्षा नहीं देता। हम राष्ट्रभाषा हिंदी एवं भारतीय भाषाओं यथा- गुजराती, तमिल, तेलगू, कन्नड़, मराठी, पंजाबी आदि को राजकाज की भाषा बनवाएंगे ताकि सब तबके के लोग देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। विज्ञान, तकनीक एवं प्रबंधन आदि शिक्षा भारतीय भाषाओं एवं राष्ट्रभाषा हिंदी में देने से देश के गरीब, मजदूर, किसान के बच्चों को भी डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस और वैज्ञानिक बनने का हक मिलेगा। भारत के सर्वांगीण विकास के लिए यह अति आवश्यक है कि समाज के सभी स्तरों का समान विकास हो और यह केवल हिंदी के द्वारा ही संभव है। ■

मोटापा पर योग का प्रभाव

श्री जोगिन्दर सिंह
माननीय न्यायिक सदस्य
तथा अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकारी
कर्मचारी कल्याण समन्वय
समिति, इंदौर।

वर्तमान व्यस्त जीवनशैली का एक बड़ा दुष्परिणाम लोगों में बढ़ते मोटापे के रुप में सामने आ रहा है। इसकी वजह से छोटी आयु में ही हार्ट-अटैक, डायबिटीज, बीपी जैसी बीमारियां होना आम बात हो गई है। अंग्रेजी का शब्द 'ओबेसिटी' लैटिन शब्द 'ओबेसस' (Obesus) से लिया गया है जिसका अर्थ होता है - 'मोटा' सा 'फूला हुआ'। चिकित्सा अध्ययन में, मोटापे को एक व्यक्ति के आदर्श वजन से 20 प्रतिशत अधिक होने के रुप में परिभाषित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में 300 मिलियन से ज्यादा लोग मोटापे से ग्रस्त हैं तथा एक बिलियन से ज्यादा अतिरिक्त वजन वाले हैं। 21 वीं सदी में भारत में मोटापा महामारी का रुप ले रहा है। देश की 5 फीसदी आबादी रुग्ण मोटापे से ग्रस्त है।

सरल शब्दों में मोटापे को कैलोरी के संचय तथा कैलोरी के खर्च के बीच असंतुलन के रुप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे शरीर में अत्यधिक एवं असामान्य वसा एकत्रित हो जाती है। मोटापे को सामान्य रुप से अधिक वजन की अवस्था कहा जा सकता है। मोटापे के मापन हेतु बॉडी मास इंडेक्स (BMI), कमर की परिधि (Waist circumference), नितंब की परिधि (Hip circumference), कमर तथा नितंब का अनुपात (Waist-Hip circumference), मध्य भुजा परिधि(Mid-arm circumference) आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें से बॉडी मास इंडेक्स विधि सबसे अधिक प्रचलित है।

मोटापे के प्रकारः

1. हाइपरट्रोफिक ओबेसिटी- इसमें वसा कोशिकाओं के आकार में वृद्धि (संख्या में नहीं) पाई जाती है।
2. हाईपरप्लास्टिक ओबेसिटी - इसमें वसा कोशिकाओं के आकार में वृद्धि के साथ ही उसकी संख्या में भी वृद्धि पाई जाती है।

शारीरिक संरचना के आधार पर भी मोटापे को वर्गीकृत किया गया है। अव्यवस्थित अतिरिक्त वसा के आधार पर वे 'एप्पल' (सेवनुमा) तथा 'पीयर' (नाशपातीनुमा) कहे जाते हैं।

जब वसा पेट के चारो तरफ जमा होने लगती है तथा केवल यह भाग बाहर आने लगता है और यह सेब जैसा लगता है, तब इसे एप्पल शेप ओबेसिटी कहा जाता है। यह मुख्यतः पुरूषों में पाया जाता है। इसमें हृदय संबंधी रोग तथा मधुमेह की संभावना अधिक होती है।

जब शरीर का ऊपरी हिस्सा निचले भाग की तुलना में काफी पतला दिखता है, इसे पीयर शेप (नाशपातीनुमा) ओबेसिटी कहा जाता है। विस्तृत मध्य भाग व संकुचित कंधे व छाती इस प्रकार के मोटापे के लक्षण हैं।

मोटापे के कारणः

1. मोटापे के वातावरण संबंधी कारण
2. अत्याधिक मात्रा में भोजन लेना
3. उर्जा के खपत में कमी
4. पारिवारिक प्रभाव
5. निष्क्रिय जीवन शैली
6. तनाव

मोटापा घटाने में योग की भूमिकाः

मोटापे के उपचार में योग चिकित्सा की महत्वपूर्ण भूमिका है। 'मोटापे के लिए योग' में मोटापे के उपचार हेतु प्रयोग की जाने वाली यौगिक विधियां सम्मिलित है। इनमें संतुलित व पोषक आहार के साथ योगासन एवं योग की अन्य तकनीक का उपयोग किया जाता है। योग अंतःस्त्रावी ग्रंथियों पर प्रभाव डालता है, रक्त संवहन को सुचारू बनाता है तथा शरीर के मेटाबोलिज्म को बेहतर बनाता है। आसन मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। योग करने के दौरान होने वाली गहरी श्वसन प्रक्रिया शरीर के भार को एक निश्चित स्तर तक लाने के लिए वसा में कमी करती है। एक अनुसंधान में योग शिविर के पश्चात प्रतिभागियों में बीएमआई, लीन मास, कमर की परिधि, कुल्हे की परिधि, कोलेस्ट्राल आदि में सार्थक कमी पाई गई तथा इसके साथ ही हाथ की पकड़ क्षमता तथा शारीरिक स्थिरता में भी वृद्धि पाई गई। उपरोक्त अनुसंधान यह साबित करता है कि योग अतिरिक्त शारीरिक वजन घटाने का एक अच्छा एवं सुरक्षित तरीका है। आप अत्यधिक मात्रा में कैलोरी लेकर तथा निष्क्रिय जीवन शैली अपनाकर अपना वजन बढ़ाते हैं जिसके परिणामस्वरुप आपके शरीर में उर्जा वसा के रुप में संचित हो जाती है। अतः फिट रहने और वजन को नियंत्रित करने के लिए आपको उस अतिरिक्त उर्जा को खर्च करना जरूरी है। योग के साथ कुछ शारीरिक व्यायाम (श्वसन अभ्यास के साथ) ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करने में मदद करता है जो वसा की दक्षतापूर्वक खपत करता है। वजन घटाने के लिए भूखे रहना उपयुक्त नहीं है। यहां अतिरिक्त वजन वाले व्यक्तियों के लिए आहार की सूची दी जा रही है।

दिन	समय	भोज्य पदार्थ	मात्रा	कैलोरी	कुल कैलोरी
पहला दिन	सुबह(8.00 बजे)	दलिया सब्जी युक्त(बिना दूध व चीनी के)	1 कटोरी	85	
	दोपहरसे पहले(11.00 बजे)	जूस(सब्जी)	150मिली	190	
	दोपहर (1.00 बजे)	मूंगदाल(1कटोरी)+रोटी (बिन घी के) + उबली सब्जी + सलाद	100ग्राम +3 +350ग्राम+100 ग्राम	795	
	सायं (4.00 बजे)	सूप (सब्जी)	150 मिली	190	
	रात्रि (7.30 बजे)	उबली सब्जी+रोटी+फल	100 ग्राम+2+1	603.3	**1863.3**
दूसरा दिन	सुबह(8.00 बजे)	फल(केला) +सब्जी जूस	1+150मिली	105	
	दोपहरसे पहले(11.00 बजे)	जूस(सब्जी-गाजर)	150 मिली	190	
	दोपहर (1.00 बजे)	मसूर दाल 1 कटोरी+रोटी (बिन घी के)+उबली सब्जी+सलाद	100ग्राम +3 +350ग्राम+100 ग्राम	795	
	सायं (4.00 बजे)	सूप(सब्जी)	150 मिली	190	
	रात्रि (7.30 बजे)	उबली सब्जी+रोटी+फल	100 ग्राम+2+1	603.3	**1883.3**
तीसरा दिन	सुबह(8.00 बजे)	निंबू-पानी+फल	1 ग्लास+1	85	
	दोपहरसे पहले(11.00 बजे)	जूस(सब्जी)	150मिली	190	
	दोपहर (1.00 बजे)	राजमा दाल 1 कटोरी +रोटी (बिन घी के) +उबली सब्जी+सलाद	100ग्राम+3+350ग्राम +100 ग्राम	795	
	सायं (4.00 बजे)	सूप(सब्जी)	150मिली	190	
	रात्रि (7.30 बजे)	उबली सब्जी+रोटी+फल	100ग्राम+3+1	603.3	**1863.3**

संतुलित भोजन (जिसमें तकरीबन 1800 कैलोरी प्रतिदिन हो) के साथ योग अभ्यास/व्यायाम का नियमित प्रयोग मोटापा घटाने इसी तरह शारीरिक सुदृढ़ता लाने का कारगर उपाय है।

इस प्रकार योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रुप से स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं तथा हार्ट अटैक, डायबिटीज, बीपी जैसी बीमारियों को भी दूर रख सकते हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि हम आवश्यकता के अनुसार खाते नहीं हैं या जिव्हा के स्वाद के लिए अधिक खाते हैं लेकिन उसको पचाने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करते हैं और जब वजन बढ़ जाता है कि तब कई तरह के बहाने बनाते हैं जबकि सच्चाई यह है कि धूल चेहरे पर लगी होती है और कसूर आईने का बताते हैं। हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि हमें जीने के लिए खाना है न कि खाने के लिए जीना। ■

दवाई

श्री राजेन्द्र,
माननीय लेखा सदस्य, मुंबई।

मैं, मुंबई अपना परिचय कैसे दूँ – स्पेन की राजकुमारी के दहेज में दिए गए अरबी समुद्र से घिरे सात गाँवों के समूह के रूप में या मीलों तक फैली विषमताओ के महानगर के रूप में? आज मैं अमीरों और ग़रीबों के आसरों, आकाश छूती इमारतों और झोंपड़पट्टियों को एकसाथ अपने सीने से लगाए हुए हूँ। बम-विस्फोट और आतंकी हमलों से लहूलुहान हुई हूँ तो अपने बाशिंदों की एकजुटता, बहादुरी और हादसों को भूलकर आगे बढ़ते रहने के उनके हौसले पर बार-बार न्यौछावर हुई हूँ। बाढ़ जैसे कुदरती क़हर और क़ौमी दंगों जैसी इंसानी दरिंदगी के वार झेल चुकी हूँ तो 'लालबागचा राजा'(लालबाग के गणपति) के विसर्जन के समय हर बरस भिंडी बाजार में अलग-अलग धर्म मानने वालों को एकसाथ शरबत पीते-पिलाते देखती रही हूँ। दुनिया मुझे फ़िल्मों की चमक-दमक, 'सी-लिंक' और मेराथान के लिए ही नहीं, मेरे 'डब्बावालों' की समय की पाबंदी के लिए भी जानती है। परंतु, इन सबसे हटकर मेरी अलग पहचान है और वह मुझे सबसे प्रिय है। लोग इसे 'मुंबईपना' कहते हैं। यह शब्द दिन में अनेक बार मेरे कानों में पड़ता है और हर बार सुनने में उतना ही अच्छा लगता है। सच कहूँ तो यह सब मेरी वजह से नहीं, यहाँ रहने वालों की वजह से है जिनमें से लगभग सभी 'मुंबईगिरी' के रंग में रंगे हैं। रोज़ मेरे सामने अनेक घटनाएं घटती हैं- कुछ से शर्मसार होती हूँ तो कुछ को देखकर मेरा सीना फूल जाता है। अब मैं आपको आँखों देखी, कानों सुनी नहीं, घटना सुनाने जा रही हूँ- इसे कहानी न समझें, कुछ दिन पहले घटी उस घटना को मैंने हर पल जिया था।

उस दिन घर से दफ़्तर के लिए निकली स्नेहा पुरन्दरे बहुत उदास थी। बस स्थानक की तरफ़ उसके पाँव तेज़ी से बढ़ रहे थे, पर उसका मन घर में लेटे अपने बेटे शरद में ही अटका था। दूर से आती डबल-डेकर को देखते ही वह लपकी और रोज़ की तरह बस के ऊपरी मंज़िल में खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गई। स्नेहा के लिए रेल्वे स्थानक तक का यह सफर हमेशा बड़ा आरामदायक होता था, परा विस्तार होने से इस इलाके में मुंबई जैसी भीड़भाड़ नहीं थी। यही नहीं, रास्ता भी हरा-भरा था। बचपन से ही उसे पेड़ अच्छे लगते थे। परंतु, आज उसका मन इन सबमें नहीं लग रहा था। रह रह कर उसकी आँखों के सामने अपने बेटे का मुरझाया चेहरा, भावहीन आँखों में जबरदस्ती रोके गए आँसू घूम रहे थे और उसके कानों में शरद के ये वाक्य गूँज रहे थे "आई*!तुम आफिस चली जाओ, पापा कहते हैं न मैं *माँ बड़ा हो गया हूँ-फिर चिंता क्यों करती हो? दवाई मैं खुद ले सकता हूँ, संगीता मौसी भी आने वाली है और पड़ोस वाली विद्या बुआ है ना....." शरद के शब्दों में न क्रोध था, न रोष- थी तो केवल बर्फ़ानी तटस्थता। नन्हीं उम्र के शरद की वह मुखमुद्रा स्नेहा के दिल को चाक-चाक कर रही थी। वह सोचने लगी कि शरद के जन्म के पहले उसने अपनी होने वाली संतान के विषय में कितनी इन्द्रधुनषी कल्पनाएँ की थीं, परंतु हक़ीकतों की कठोर ज़मीन उसके सपनों को इतनी बेरहमी से तोड़ेगी उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। किंतु वास्तविकता यही थी, दफ़्तर जा रही थी या कि उसे जाना पड़ रहा था- इससे यह कड़वा सच नहीं बदल जाता कि वह शरद के साथ नहीं थी।

उसे न केवल दफ़्तर पहुँचना था बल्कि कल का अधूरा प्रजेंटेशन भी पूरा करना था, कल दोपहर बाद उसे शरद की पाठशाला से उसकी तबियत ख़राब होने का फोन आया तो उसे प्रजेंटेशन को वहीं छोड़कर भागना पड़ा था। स्नेहा जब पाठशाला पहुँची तब शरद प्राथमिक उपचार कक्ष में लेटा हुआ था और उसका शरीर बुखार से तप रहा था। स्नेहा के जब उसका माथा छूआ तो शरद ने आँखें खोलकर मुस्कराने की कोशिश की, पर बुखार तेज होने से वह फिर ऊँघ गया। कक्षा-अध्यापिका मैडम भंडारे ने उसे यह कहते हुए सान्तवना दी कि पिछले कई दिनों से बच्चों में वायरल फैल रहा था और दो-एक दिन में शरद भी ठीक हो जाएगा। स्नेहा उसे चिकित्सक के पास ले गई जिसने शरद को बुखार उतरने तक हर चार घंटे में और बाद में हर आठ घंटे में दवाई देने का कहा।

स्नेहा ने पूरी रात सोते-जागते गुज़ारी और सुबह पाँच बजे जाकर शरद का बुखार लगभग उतर सा गया तो उसने राहत की साँस ली। श्रीधर के चाय पीने के बाद स्नेहा ने उसे दोपहर तक शरद के पास रहने को कहा ताकि वह अपना प्रजेंटेशन पूरा कर लंच तक आ सके। बात सुनते ही श्रीधर भड़क गया और कहने लगा कि उसने स्नेहा को सात दिन पहले ही बता दिया था कि उसे आज कंपनी के वकील से चर्चा करने उसके फोर्ट स्थित दफ़्तर और बाद में उच्च न्यायालय जाना होगा। स्नेहा को याद आया कि श्रीधर ने उसे बताया था कि वकील की फीस मिनिटों के हिसाब से थी और मामला पचास करोड़ की ज़मीन की अंतिम सुनवाई का था। श्रीधर ने कहा कि घर रूकने की बात करने से पहले स्नेहा को सोच तो लेना चाहिए था। शरद के बारे में

श्रीधर ने कहा कि वह बङा हो गया था। वह सवा आठ की लोकल पकङने की सूचना देकर स्नानघर में घुस गया तो स्नेहा एकाएक अपनी बेबसी पर रूंआसी हो गई। उसे लगा कि वह एक यंत्र बन गई है घर और दफ़्तर में काम करने की। उसे अपनी दफ़्तर की सहकर्मी हीना कुरैशी की कही बात याद आ गई जो कल-परसों ही उसने कुछ इस तरह कही थी– "कामकाज़ी महिलाओं की परेशानी को न घरवाले समझते हैं और न दफ़्तरवाले। दोनों उससे आसमानी उम्मीदें लगाए रहते हैं। अक्सर ये लोग भूल जाते हैं कि औरत भी इंसान होती है और थकती भी है। मर्दों को दोनों मोर्चे संभालने पङे तो खुदा क़सम फ़क़ीर बन जांय" उसे लगा कि घर और दफ़्तर के बीच सही तालमेल बैठाने चक्कर में कई बार तो उसकी स्थिति न उगलते बने न निगलते बने जैसी हो जाती थी। पर और कोई उपाय भी तो नहीं था।

वह साफ़-साफ़ महसूस कर रही थी कि जबसे मंदी की मार के कारण श्रीधर के दफ़्तर में कर्मचारियों की छँटनी शुरू हुई है वह काफ़ी चिङचिङा और अनावश्यक रूप से आक्रामक हो गया था। अन्यथा पति और पिता के रूप में वह बहुत ही समझदार और सहयोग करने वालो में था। श्रीधर न केवल घर के काम में हाथ बंटाता था, बल्कि कमज़ोर पलों में उसका हौसला भी बढ़ाता था। छुट्टी के दिन तो वह बिल्कुल बच्चा बन जाता -वह शरद के साथ क्रिकेट खेलता, उसके साथ टाम-जैरी के शो का आनंद लेता, उसके साथ हिंदी फ़िल्मों के नए पुराने गानों पर नाचते हुए धमाल करता। दोपहर में पूरणपोली बनने में स्नेहा को यदि जरा भी देर हो जाती तो दोनों "पी.पी. लाओ" "पी.पी.लाओ" की नारेबाज़ी पर उतर आते। यह सब देखकर स्नेहा का जी जुङ जाता और कई बार विद्या से मज़ाक में कहती कि मेरे और मेरी सास के बेटे में कद का ही अंतर है, बाकी बंदरनुमा हरकतें करने में दोनों एक दूसरे के सिर पर बाँधे जैसे हैं। शाम को तीनों घूमने निकल जाते। वहाँ श्रीधर शरद की हर माँग पूरी करता और वे बाहर ही खाना खाकर लौटते। ऐसे स्नेहशील श्रीधर का आज का अनपेक्षित व्यवहार उसे गहरे से कचोट गया।

स्नेहा समझती थी कि नौकरी छूटने की स्थिति में स्नेहा की ज़िद पर ही लिए गए फ्लैट की ई.एम्.आई.चुकाने की चिंता ने श्रीधर का मनमौजीपन छीन लिया था। पर वह करती भी तो क्या करती। हर ग्यारह महीने में मकान बदलने, पङौसी बदलने, शरद की पाठशाला और दोस्तों के बदलने से उसके व्यवहार में आने वाली स्वाभाविक असहजता के अप्रिय अनुभवों ने बाध्य कर दिया था कि वे बैंक से उधार लेकर सिर पर छत का जुगाङ कर लें। इसी चक्कर में स्नेहा ने नौकरी भी कर ली थी। कुल मिलाकर ज़िंदगी की गाङी ठीक रफ़्तार से चल रही थी कि मंदी ने बाज़ार को बुरी तरह से जकङ लिया। दूसरी तरफ़ शरद की पाठशाला में नए प्राचार्य के आने के बाद अभिभावकों की भागीदारी कई गुना बढ़ती जा रही थी। इनके बीच संतुलन बैठाना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा था।

श्रीधर भले ही कहता कि पानी में धकेलने पर आदमी अपने आप तैरना सीख लेता है, परंतु स्नेहा शरद को उम्र के पहले समझदार बनाकर उसका बचपना नहीं छीनना चाहती थी। यह तो ईश्वर की कृपा थी कि कामवाली बाई संगीता-मौसी और पङोस की विद्या को शरद के स्वभाव के कारण उससे गहरा लगाव हो गया था और वे स्नेहा की गैरहाज़री में शरद को अच्छी तरह से संभाल लेती थीं। परंतु, पाठशाला के अभिभावक दिवसों, वार्षिक समारोह दिवस या खेलकूद प्रतियोगिताओं के समय भारी समस्या पैदा हो जाती। शरद की इच्छा होती कि इन अवसरों पर, ख़ासकर जिनमें वह भाग ले रहा हो, उसके पापा या आई पाठशाला में हों। उस दिन स्नेहा को छुट्टी लेनी पङती, क्योंकि पी.डि'मेलो रोङ के दफ़्तर से वापस घर आकर शरद की पाठशाला जाना संभव नहीं था। दूसरी तरफ़ था उसका बास जो छुट्टी के मामले में एकदम झक्की था। बास का असली नाम दफ़्तर में शायद ही किसी को पता था-सब उसे 'सर' या 'बी.के बास.' या गुस्से में 'खङूस' के नाम से पुकारते थे। वह विज्ञापन की दुनिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता था। उठते-बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते उसके दिमाग़ केवल एक ही धुन होती थी व्यापार। वह कर्मचारियों को नहीं खुद को भी 'प्राडक्ट' मानता और समझता था। सभी लोग उसकी नज़र में व्यापार के साधन थे–यानि दफ़्तर एक मशीन था और वहाँ काम करने वाले उसके पुर्ज़े। उसकी नज़र में पुर्जों को केवल काम करते रहना चाहिए ताकि व्यापार बढ़े। इसमें कोई शक नहीं कि पगार या बोनस देने में बी.के.बिल्कुल ही 'चिंगूस'*नहीं था-यहाँ तक कि यदि कोई आधे घंटे का ओ.टी. भी कर लेता तो उसका भुगतान हाथोंहाथ कर देता। पर किसी के छुट्टी मांगने पर अपने हावभाव और व्यवहार से अपना एतराज़ साफ़-साफ़ जता देत। कई बार तो ऐसी पूछताछ करने लगता कि कर्मचारी को लगता कि उसने छुट्टी मांग कर कोई गुनाह कर लिया हो।

कंपनी के कर्मचारी वहाँ की सबसे पुरानी कर्मचारी, मिसेज बाटलीवाला, जिन्हें बी.के. आंटी कहता था, के माध्यम से कर्मचारी अपनी छुट्टी मंज़ूर करवाना ज्यादा पसंद करते थे। बी.के. उनकी बात कभी नहीं टालता था। कहा जाता है कि बी.के. के पिता जिस समय सङक दुर्घटना में चल बसे उस समय वह छोटा बच्चा था। मिसेज बाटलीवाला ने 'सेठ के पोरे' के बङे होने तक उसके व्यापार को ऐसी ईमानदारी और वफ़ादारी से सँभाला था जैसे कोई घर का सदस्य भी नहीं संभालता। सफ़ेद बालों और गोल फ्रेम के सुनहरी चश्मों में मिसेज बाटलीवाला अलग ही

दिखती थीं। स्नेहा के काम के प्रति लगाव को देखकर वे अक्सर उसे कहतीं "तू न गांडी**है- * कंजूस **सिरफिरी कैसे भूत के माफक काम करता है?" स्नेहा को याद आया कि कैसे मिसेज बाटलीवाला ने उसे शरद के स्पोर्टस् डे के दिन कंपनी की गाडी से पाठशाला छुडावाया था। उस दिन वह आधे दिन की छुट्टी लेकर शरद की पाठशाला पहुँची तो न चाहते हुए भी उसे देर हो गई। हाथों में दो-तीन कप लिए उदास बैठे शरद ने जैसे ही उसे देखा खुशी से चिल्ला उठा और दौड कर उससे लिपट गया। फिर उसने स्नेहा को अपने दोस्तों से, अपने पी.टी.सर से मिलवाया, दोस्तों को स्नेहा से आईसक्रीम की ट्रीट दिलवाई और स्नेहा को कप सौंप कर दोस्तों के साथ खेलने भाग गया। उछलते-कूदते, एक दूसरे को धकियाते, शोर मचाते, गिरते-पडते, उठकर फिर से भागते बच्चों के बीच उसको खेलता देखते हुए स्नेहा बी.के. को, अपने दफ़्तर को और छुट्टी के झंझट को- इन सबको- भूल गई। वहाँ बैठी सभी माँओं की तरह वह भी उन बच्चों में खो गई। स्नेहा को उस समय अपने बाबा की बात – बच्चों के आनंद में ही माँ-बाप को सच्चा सुख मिलता है - का अर्थ कुछ-कुछ समझ आने लगा।

ऐसे में शरद के बुखार के बावजूद दफ़्तर जाने की अपनी विवशता से वह खिन्न हो गई। पिछले तीन महीनों से जिस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था आज उसका प्रजेंटेशन विदेशी निवेशकों के सामने होना था। मामला कई मिलियन डालर के शेयर सबसे अच्छे भाव में बेचने का था। मिसेज बाटलीवाला ने अपने बलबूते पर कल उसे इसी शर्त पर दफ़्तर से निकलने दिया था कि वह आज जल्दी पहुंचकर लंच के पहले पहले प्रजेंटेशन को अंतिम रूप देकर बी.के. से मंज़ूर करवा लेगी। परन्तु चाहते हुए भी वह घर से जल्दी नहीं निकल पाई थी। इन्हीं विचारों में खोई स्नेहा को पता ही नहीं लगा कि कब वह प्लेटफार्म पर पहुँची और कब वह महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में चढ़ गई। उसे हमेशा की तरह बैठने की तो नहीं पर दरवाज़े के पास ही पंखे के नीचे आराम से खडे होने की जगह मिल गई।

गाडी के चलते ही उसे ध्यान आया कि सुबह की भागदौड में आज वह अपना और वरलक्ष्मी का टिफिन और अपनी पानी की बोतल लेना भी भूल आई थी। उसने तय किया कि वह वरलक्ष्मी को उसकी पाठशाला के पासवाली खाऊगली से कुछ लेने के लिए पैसे दे देगी और रही खुद की बात तो उसे लगा दफ़्तर पहुँच कर कुछ न कुछ कर ही लेगी। अगले स्टेशन पर वरलक्ष्मी उसकी तरफ़ हाथ हिलते हुए डिब्बे में घुसी। स्नेहा के उतरे चेहरे और नींद की कमी दर्शाती आँखों को देखकर उसने उदासी का कारण पूछा तो स्नेहा ने शरद के बुखार की बात बताई। अगले स्टेशन के आऊटर के पास गाडी की रफ़्तार धीरे होने लगी। उसने देखा कि गाडी की पटरियों के दोनों ओर कुछ लोग नारे लगा रहे थे। उनके बारे में वरलक्ष्मी ने बताया कि उस दिन सुबह से हवाईअड्डे की तरफ़ जाने वाली रोड पर अवैध रूप से बसी झोंपडपट्टी को तोडने की कार्यवाही शुरू हुई थी जिससे नाराज़ होकर चारों तरफ़ धमाल कर रहे थे। पता नहीं किस डिब्बे के किस यात्री द्वारा कही कौन सी बात से भीड नाराज़ हो गई और जिस तरफ़ के दरवाज़े के पास स्नेहा खडी थी उस तरफ़ की भीड में से किसी ने गाडी पर पत्थर फेंक दिया। फिर कुछ और लोग भी शुरू हो गए। यात्री कुछ संभल पाते या कुछ समझ पाते उसके पहले काफ़ी सारे पत्थर गाडी से टकराने लगे और उनमें से एक आकर वरलक्ष्मी की आँख के ऊपर लगा। उसके घाव से खून बहने लगा। वरलक्ष्मी अक्का-अक्का कहती हुई स्नेहा की बाहों में झूल गई। स्टेशन पर गाडी के रूकते ही वह वरलक्ष्मी को लेकर नीचे उतरी और कुछ सहयात्रियों की मदद से अस्पताल पहुँची।

उसने अस्पताल के रिसेप्शन पर बैठी नर्स से वरलक्ष्मी को तुरंत भर्ती करने का कहा तो उसे बताया गया कि पाँच हजार की अग्रिम राशि के बिना अस्पताल में मरीज़ को भर्ती नहीं किया जा सकता। स्नेहा ने नर्स से कहा कि उस समय उसके पास इतने पैसे नहीं थे, पर मरीज़ की अस्पताल से छुट्टी के पहले वह पैसों का प्रबंध ज़रूर कर लेगी। इस पर जब स्नेहा को यह कहा गया कि यदि पैसे नहीं हैं तो वह मरीज़ को किसी ख़ैराती अस्पताल में क्यों नहीं ले जाती? यह सुनते ही स्नेहा फट पडी –"यह अस्पताल है या नौटंकी। यह इलाज के लिए है या मरीज़ को मरने देने के लिए.....बिना पैसों के इलाज नहीं हो सकता तो ये ले ये ले....." कहते हुए स्नेहा ने अपनी हाथों की सोने चूडियाँ, कानों की बालियाँ और अपना मंगलसूत्र तक काउंटर पर पटक दिया। उसका रौद्र रूप देखकर वहाँ खडा हर कोई सकते में आ गया। काउंटर पर हुए शोर-शराबे को सुनकर ड्यूटी डाक्टर लपकते उधर हुए पहुँचा। रिसेप्शन वाली नर्स सहमे सुर में उसे कहने लगी-"सर ! ये मैडम एडवांस नहीं आई लाई हैं और पेशंट को भर्ती करने की ज़िद कर रही हैं।" फिर गहनों की तरफ़ ईशारा करते हुए बोली "एडवांस के तौर पर ये यहाँ रख दिए हैं।" स्नेहा ने पीछे मुडकर देखा तो उसे और डाक्टर दोनों को लगा कि वे शायद कहीं मिले हैं। अचानक डाक्टर बोला "स्नेहा काले,शोलापुर।"

आवाज सुनते ही स्नेहा की याद ताज़ा हो गई। उसने कहा-"मकरंद देशपांडे, नायर हास्पिटल मुंबई."

"तुम कभी नहीं बदलोगी-तुम जहाँ जाओ वहाँ झगडा न करो संभव नहीं" देशपांडे ने मुस्कारते हुए कहा. स्नेहा बोल उठी-"और तुम भी वही के वही हो। तुम जहाँ हो वहाँ तो केवल पैसों की ही बात होगी." दोनों हंस दिए। उन्हें कुछ वर्ष पूर्व हुए पुणे के राज्य स्तरीय अंतरमहाविद्यालयीन

वाद-विवाद प्रतियोगिता के अंतिम मुकाबले की याद आ गई। बदली आर्थिक परिस्थितियों में नैतिक मूल्य विषय पर दोनों विषय के पक्ष-विपक्ष में जमकर बोले थे और निर्णायक मंडल ने उन्हें संयुक्त विजेता घोषित किया था। उस दिन समारोह के बाद भी उन दोनों में इस बाबत अच्छी ख़ासी बहस हुई थी। इसके पहले कि वे कुछ और बोल पाते स्नेहा का मोबाईल बज उठा और वह कहने लगी "मिसेज बाटलीवाला इधर थोड़ा लफड़ा हो गया है। पर, मैं जल्दी ही दफ़्तर पहुँच कर काम पूरा कर दूँगी." इसके जबाव में सामने से क्या कहा गया यह तो देशपांडे को पता नहीं लगा पर बात सुनते ही उसने स्नेहा के चेहरा को तमतमाते हुए देखा। अपने गुस्से पर काबू पाते हुए स्नेहा अत्यन्त गंभीर स्वर में कह रही थी "स्नेहा ने न आज तक कोई बहाना किया है और न करेगी और वह भी अपने बेटे की बीमारी का झूठा बहाना। सर ! इस प्रोजेक्ट पर मैंने पूरी मेहनत और लगन से काम किया है, इसलिए मेरे कमिटमंट की बात न करें तो ही अच्छा है। रही बात नौकरी की तो आप कुछ करें उसके पहले मैं इस्तीफ़ा देना पसंद करूँगी।" स्नेहा ने मिसेज बाटलीवाला से फोन लेकर उसको भला-बुरा कहने वाले अपने बास की आगे की बात सुने बिना ही फोन बंद कर दिया।

देशपांडे ने मामले की गंभीरता को कुछ-कुछ समझते हुए गहने उसके हाथ में रखे और कहा "तुम अपने दफ़्तर जाओ, पेशंट की चिंता मत करना।" इस सारे हंगामे को देख रहे एक आदमी ने उसे स्टेशन तक कार में छोड़ने का प्रस्ताव किया तो स्नेहा मना नहीं कर सकी। कार रवाना होते ही उसने स्नेहा को पानी की बोतल दी और धीरे से कहा "यदि आप शांत बैठी रहे तो मैं आपको बंदूक की गोली की तरह स्टेशन पहुँचा सकता हूँ।" चौराहों के सिग्नल की लाल बत्ती, प्रवेश निषेध या एकतरफ़ा मार्ग की परवाह किए बिना पता नहीं उसने कार को किस तरफ़ से भगाया कि चौथे मिनट स्नेहा स्टेशन पहुँच गई। उस आदमी ने हाथ हिलाते हुए हल्के से मुस्करा कर कहा "आल द बेस्ट, झाँसी की रानी।" स्नेहा ने भी उसे अपने 'बेटे का मामा' कहते हुए थैंक्यू कहा। दोनों दिल खोलकर हँस पड़े। इस प्रसंग से स्नेहा का मन काफ़ी हल्का हो गया।

स्नेहा दफ़्तर पहुँची तो उसे लगा भगवान ने उसकी सुन ली-मिसेज बाटलीवाला अपनी जगह पर नहीं थी। उसने एक गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए अपना कम्प्यूटर शुरू किया और काम पर लग गई। अब वह थी और काम था। लंच के पहले ही उसका प्रेजेंटेशन पूरा हो गया। उसने बी.के. और मिसेज बाटलीवाला को प्रेजेंटेशन ई-मेल ही नहीं किया किया बल्कि उसकी सी.डी. भी बना डाली। वह प्रेजेंटेशन को पेनड्राईव पर लेकर मिसेज बाटलीवाला को भेजने वाली ही थी कि कैंटीन वाला महेश उसके सामने नींबू की चाय का चौथा प्याला धरकर चला गया। नेहा ने चाय पीते हुए चैन की सांस ली। उसकी आँखों के सामने सुबह से अब तक घटी सारी घटनाएँ चलचित्र की तरह घूमने लगीं। उसके चेहरे पर निर्णायक भाव आया और कम्प्यूटर के कुंजी-पटल पर उसकी अंगुलियाँ चलने लगीं। मानिटर पर दिखी इस इबारत को उसने एक बार फिर पढ़ा-"मैं स्नेहा पुरंदरे निजी कारणों से अपने पद से त्यागपत्र दे रही हूँ जिसे तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लिया जाय। मेरी पी.एफ़. राशि में से एक माह का वेतन काटकर शेष राशि मेरे खाते में जमा करवा दी जाय।" प्रिंट का आदेश देते समय उसका मन विचलित होने लगा पर शरद का चेहरा और बी.के. के बोल याद आते ही उसने पी और कंट्रोल के बटन दबा दिए। पत्र को लिफ़ाफ़े में बंद कर उसने बी.के. के निजी सचिव को भेज दिया।

स्नेहा ने दफ़्तर से बाहर निकलते ही अस्पताल फोन किया तो उसे पता लगा कि सुबह वाली नर्स चली गई थी। पर जाते समय वह नई नर्स को कह गई थी कि यदि स्नेहा नाम की किसी महिला का फोन आए तो उसे यह बता दिया जाय कि वह जिस मरीज़ को लेकर आई थी उसे दो टांके लगे थे और खून बहने के कारण उसे दो दिन तक आराम करने का कहा गया था। नर्स ने यह भी कहा कि पेशंट की अस्पताल से छुट्टी हो गई थी। अंत में उसे बताया गया कि एक आदमी जो खुद को स्नेहा का भाई बता रहा था मरीज़ को अपनी कार में उसके घर तक छोड़ने गया था।

स्नेहा वरलक्ष्मी की तरफ़ से निश्चिंत हुई और घर के लिए निकल पड़ी। उसे वरलक्ष्मी से हुई पहली मुलाक़ात याद आई। स्नेहा रोज़ की तरह लोकल से अपने दफ़्तर जा रही थी कि चलती गाड़ी में पसीने से लतपथ, बुरी तरह हाँफती हुई, म्युनिसिपल स्कूल की यूनिफार्म पहने, किताबों का बस्ता पीठ पीछे लगाए एक लड़की दौड़ कर चढ़ी। उसकी धौंकनी की तरह चलती साँसें जब थोड़ी सामान्य हुई तो स्नेहा ने उसे अपनी पानी की बोतल दी। जैसे ही वह पानी गटगटाने लगी स्नेहा ने उसे धीरे-धीरे पीने का ईशारा किया। खाली बोतल लौटते हुए उस लड़की ने कहा "अक्का ! आभार।" "अक्का? "

"अक्का मांझे ताई."* वह हंसते हुए बोली। "जानती हूं " कहकर स्नेहा ने उसके सिर पर प्यार भरी चपत धर दी। वरलक्ष्मी ने स्नेहा को अपने बारे में बहुत कुछ बताया- वह पास की झोपड़पट्टी में रहती थी, उसका परिवार सेलम से मुंबई आया था, उसकी माँ आस-पास के घरों में काम करती थी और उसके अप्पा किराये का ओटो रिक्शा चलाते थे। वरलक्ष्मी ने उसे यह भी बताया था कि उसकी पढ़ाई से उसके शिक्षक उससे बहुत ख़ुश थे। उस दिन के बारे में उसने कहा कि उसकी माँ बीमार हो गई थी, इसलिए उसे 'हमेशा

लङने वाले' छोटे भाई को पाठशाला भेजने समेत घर के सारे काम करने पङे थे। उसने स्नेहा को बताया कि इसलिए वह भागते-भागते पहुँच पाई थी और इस मारामारी में वह अपना टिफिन और पानी की बोतल लाना ही भूल गई। वरलक्ष्मी को अगले स्टेशन पर उतरना था यह जानकर स्नेहा ने उसे अपना टिफिन पकङाते हुए कहा "अक्का का सारा पानी तो पी ही गई, अब टिफिन लेकर उसे भूखा भी रख ले".

स्नेहा के चेहरे पर ममता के रेखाएँ देख वरलक्ष्मी बोली "ताई ! थैंक्यू "

"ताई नहीं,अक्का..... "

"नहीं ताई....."

"अच्छा ! अच्छा ! जो तू कहे.....चल उतर तेरा स्टेशन आ रहा है। मैं कल से इसके पहले वाली गाङी से आ जाया करूँगी। और सुन ! कल से टिफिन मत लाना मेरे बेटे के लिए जो टिफिन बनता है तेरे लिए भी लेती आऊँगी." स्नेहा ने कहा। तब से वे दोनों साथ आने लगीं। भले ही वरलक्ष्मी तीन स्टेशन बाद उतर जाती थी पर उतने समय में वह स्नेहा को कितना कुछ बता देती थी – अपने परिवार, अपनी पाठशाला और आस-पङोस के बारे में। स्नेहा उसकी प्रतिभा देखकर हैरान थी। उसका कल्पना चावला बनने का सपना स्नेहा को संभव लगता था। स्नेहा ठेठ से ही वैदिक गणित में बहुत प्रवीण थी।

*अक्का (बङी बहन-तमिल) का अर्थ है बङी बहन (मराठी समानार्थक ताई)

उसने वरलक्ष्मी को 'एकाधिकेन पूर्वेण','उर्ध्वतिर्यग्भ्याम्' 'लोपनस्थापनाभ्याम्' और 'शून्यं समुच्चये' जैसे सरल से लेकर कठिनतम सारे सूत्र समझाए। वरलक्ष्मी ने इतनी जल्दी और आसानी से इन्हें सीख लिया कि स्नेहा भौंचक्की रह गई। वरलक्ष्मी के बारे में सोचते-सोचते कब उसका खुद का स्टेशन आ गया उसे पता ही नहीं लगा। स्नेहा ने तय किया कि वह दो दिन बाद फिर से उसी गाङी में सफर करेगी, ताकि वरलक्ष्मी को आँखों से देख ले और अपनी नौकरी छोङने की बात भी बता दे।

स्टेशन पर उतर कर स्नेहा ने आटोरिक्शा लिया। वह जल्द से जल्द घर पहुँचना चाहती थी। स्नेहा को वक्त के पहले घर पर पहुँचा देखकर शरद जैसे खिल उठा। उसके पूछने पर स्नेहा ने कहा कि अब वह हमेशा उसके साथ ही रहेगी- पाठशाला जाने तक और पाठशाला से आने पर भी। सुनकर शरद को एकबार तो विश्वास ही नहीं हुआ पर धीरे-धीरे जैसे ही उसे इस बात का अर्थ समझ आया वह स्नेहा के गले में बाँहें डालकर झूल गया। कुछ देर बाद वह स्नेहा के कंधे पर सिर रखकर उसकी गर्दन सूंघने लगा। शरद ने बहुत लंबे समय बाद ऐसा किया था। श्रीधर ने शरद को इस 'बचपने' के लिए मज़ाकिया लहज़े में चिङाकर और 'बी ए मैन' कहकर उसकी यह आदत छुङा दी थी। पर लगता था आज शरद पुरानी यादों में जैसे रम सा गया था। वह स्नेहा के साथ होने की अनुभूति के आनंद के हर पल को जी लेना चाहता था। स्नेहा ने भी उसे और ज़ोर से जकङ लिया और उसके सिर और पीठ पर हल्के-हल्के हाथ फिराने लगी। वह शरद को पूरी तरह आश्वस्त करना चाहती थी कि वह उसके साथ है और साथ रहेगी। यह डाक्टर की दवाई का असर था या कि स्नेहा के आलिंगन का पता नहीं पर शरद का बुखार पूरी तरह उतर गया। वह स्नेहा के कान में फुसफुसाते हुए बोला "माझी आई मला खूप sss ज आवङतो।" *

स्नेहा उसी सुर, लय और लहजे में बोली "पण, माझा बाल मला लगेज आवङतो नाही।"**

दोनों अपनी दुनिया पता नहीं कब तक खोये रहते, किंतु विद्या और उसकी माँ की आवाज़ों ने उनका ध्यान भंग कर दिया। विद्या अपनी माँ से कह रही थी माँ तुम सब लोग मुझे 'मिस मेरी'और शरद को मेरा 'लिटिल लैंब' कहते हो तो यह महिला उसके साथ इस तरह भरत-मिलाप क्यों कर रही है?

*मेरी माँ मुझे बहु sss त अच्छी लगती है **पर,मेरा बच्चा मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता.

शरद चहक कर उन दोनों को बताने लगा कि अब स्नेहा हमेशा उसके साथ रहेगी तो विद्या ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए स्नेहा से पूछा "तू नौकरी छोङ आई और वह भी एकदम?"

स्नेहा बोली "एकदम नहीं, बहुत सोच विचार कर फ़ैसला किया है। मैंने तय कर लिया है कि जब तक यह बङा नहीं हो जाता इसके साथ ही रहूँगी। पर, समझ नहीं आता कि फ्लैट के क़र्ज़े की मासिक किश्त का क्या होगा?" तीनों के बीच फैले मौन के बावजूद यह सवाल उनके सामने मुंह बाये खङा हो गया।

एकाएक विद्या बोली "तू वैदिक गणित के ट्यूशन लेना शुरू कर दे।"

"और विद्यार्थी कौन होंगे? तू और शरद।"

"हाँ, यह तो बङी भारी समस्या है, पर इसका हल कैसे होगा और कौन करेगा?" .

"समस्या का हल करेगी आई, क्योंकि आई सबसे बङी दवाई होती है।" कहते हुए विद्या की माँ ने अपनी तरफ़ इशारा किया.

दोनों ने अचरज से उनकी तरफ़ देखा तो वे कहने लगीं कि आज सुबह ही जब वे और उनके पति लाफ्टर कल्ब

के व्यायाम के बाद दूसरे सदस्यों से बात कर रहे थे तो कुछ लोग गणित के जानकार और भरोसेमंद टीचर की कमी की बात कर रहे थे.अंत में वे बोलीं "जब विद्या के बाबा उनसे तेरी सिफ़ारिश कर देंगें तो फिर कैसी समस्या और कौनसी समस्या?."

यह सुनकर स्नेहा कुछ कह नहीं पाई। उसने विद्या की माँ के हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए। वह उन्हें धन्यवाद देना चाहती थी। पर लगता था कि उस दिन सुबह से घटे घटनाक्रम ने संभवत: उसे इतना हिला दिया था कि वह इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। उसके चेहरे से झलकते आत्मविश्वास और उसकी आँखों में लौट आई खुशियों की चमक से बिना कुछ कहे ही सब कुछ प्रकट हो रहा था।

अगला दिन स्नेहा के लिए इससे भी बड़ा अचंभा लेकर आया। वह आदमी जिसने स्नेहा को रेल स्थानक तक छोड़ा था वह मुंबई मिरर का एस्.के.पांडे नामक पत्रकार निकला। अपने किसी परिचित को अस्पताल में मिलकर जब वह वापस जा रहा था कि स्नेहा वरलक्ष्मी को लेकर वहाँ पहुँची थी। उसने बड़े मार्मिक शब्दों में अपने सामने हुई सारी घटनाओं के बारे में, स्नेहा के बारे में और वरलक्ष्मी की प्रतिभा के बारे में लिखा था। अख़बार ने इस ख़बर को पहले पन्ने पर छापा। पांडे ने स्नेहा की नौकरी छूटने की संभावित स्थिति का भय जताते हुए लिखा कि यदि ऐसा हुआ तो यह 'मुंबई' की आत्मा की हार होगी। उसने स्नेहा को मुंबईपन की सही प्रतिनिधि बताया जो केवल नाम से नहीं काम से भी स्नेहा थी.

यह सब पढ़कर स्नेहा और उसके घरवालों से भी अधिक अच्छा मुझे लगा। लगना ही था-चारों ओर लोग मेरी बातें जो कर रहे थे। क्षमा करें, मेरी नहीं मुंबईपने की बातें कर रहे थे। ■

अखिल भारत के परस्पर व्यवहार के लिये ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से ही जानता समझता है।

- महात्मा गाँधी

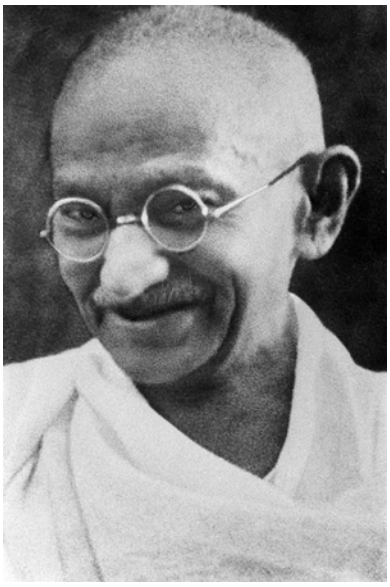

सुनहरी यादेः भाग- 4

श्री कौशल कुमार, सहायक
पंजीकार, कोलकाता।

सफलता जीवन के किस पड़ाव पर आएगी यह कोई नहीं जानता और यही मुस्कान के साथ भी हुआ। मुस्कान की एक सहेली है प्रिया जिसकी मुस्कान से कुछ ही महीने पहले बहाली हुई थी। दोनो के बीच घनिष्ठ मित्रता थी, इसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि अगर प्रिया छुट्टी लेती थी तो मुस्कान भी छुट्टी पर चली जाती थी। प्रिया एक सुंदर और सुशील महिला थी। उसके पति एक साफ्टवेयर इंजीनियर थे और वह भी कोलकाता मे पोस्टेड थे। प्रिया और मुस्कान का एक दूसरे के घर आना जाना अब और अधिक बढ़ गया जबसे मुस्कान ने अपने जीवन की गलतियों को सुधारते हुए कुछ करने की ठान ली। प्रिया के पति से प्रेरणा पाकर मुस्कान ने एक अच्छे इन्स्टीट्यूट में कंप्यूटर के एक नवीनतम और बृहत पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण लेना प्रारंभ कर दिया। वह सारा दिन ऑफिस करती और ऑफिस के बाद सीधे कंप्यूटर सीखने चली जाती। इस कार्य में उसके पति एवं परिवार वालों ने पूरा सहयोग किया। यहां यह बताना भी प्रसांगिक होगा कि मुस्कान की बेटी अब पांचवी कक्षा तक पहुंच चुकी थी और वह दूसरे बच्चे की मां बन चुकी थी। मुस्कान प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात अब सरकारी काम-काज को अपने ज्ञान के अनुसार छोटा समझने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि वह और बहुत कुछ कर सकती है। अंततः उसने नौकरी छोड़ने का फैसला ले लिया। पूरे परिवार से राय मशविरा हुआ। मुस्कान के पति ने भी हामी भर दी। मुस्कान कुछ बड़ा कर दिखाने के लिए आतुर थी। उसने प्रिया के पति से संपर्क कर अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होने उसे काफी सहयोग दिया और इस प्रकार मुस्कान अपना एक कंप्यूटर इंस्टीच्यूट खोल कर साफ्टवेयर बनाने के काम में लग गई। शुरू में उसके पास केवल पांच कर्मचारी थे जो आगे चलकर 02 वर्षों में 50 हो गया। मुस्कान का व्यवसाय खूब अच्छी तरह चल निकला और वह आज एक सफल प्रशासक के रुप में कार्य कर रही है।

मुस्कान के पति जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, वह भी अब अपनी नौकरी छोड़कर मुस्कान के साथ ही काम करने लगे। मुस्कान अब भी आनंद द्वारा किए गए सहयोग को नहीं भूली थी। वह आज भी समय मिलने पर आनंद से बातचीत करती रहती थी। वह कभी भी यह महसूस नहीं होने देती थी कि इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद वह बदल गई है। मुस्कान की उम्र भी अब जवानी से प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करने लगी। आनंद जब भी हरियाणा से कोलकाता आते थे, मुस्कान सारा काम छोड़कर उन्हें एयरपोर्ट लेने जाती थी और वे पूरे परिवार के साथ मुस्कान के घर ही ठहरते थे। जिस मुस्कान को शुरू में उन्होने नौकरी दिलाने में मदद किया, आज उसी मुस्कान के पास आनंद के परिचय के दस लोग नौकरी कर रहे थे। अपने काम के सिलसिले में मुस्कान का प्रायः अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा जाना लगा रहता था क्योंकि मुस्कान को इन्ही तीन देशों से काफी आर्डर मिलते थे।

लगभग 15 साल बीत चुके थे- मुस्कान और आनंद में मुलाकात हुए। अब आनंद भी सेवानिवृत्त होकर अपने गृह नगर पटना चले गए थे। समय कैसे पंख लगाकर उड़ रहा था, कुछ पता ही नहीं चला। अब आनंद के भी बच्चे बड़े हो चुके थे। अब उन्होंने अपना सारा ध्यान अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर केन्द्रित कर लिया था। उनका बड़ा लड़का विजय भाभा रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक हो गया और छोटा लड़का विवेक पटना के ही एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवक्ता बन गया था। अब धीरे-धीरे कलकता, हरियाणा, एवं वहां की सारी बातें आंखों से ओझल होने लगी थी। सन् 2004 होली का दूसरा दिन था। आनंद प्रातः अपने फूल-पौधों में उलझे हुए थे। कभी पानी के फुहारों से पौधों की सिचाईं करते, कभी उसी पानी की एक फुहार अपनी पत्नी की तरफ डाल देते और दोनो पुरानी यादों में खो जाते। जब पढ़ाई के समय कॉलेज के माली से पानी का पाइप छीनकर लड़कियों की झुंड की ओर बढ़ा दिया करते थे। परन्तु लक्ष्य निकिता की तरफ ही होता था। अचानक उनकी नजर मेन गेट की तरफ एक लग्जरी कार पर पड़ी जो उनके घर की ओर आ रही थी। उतनी मंहगी कार उनके दरवाजे पर किसकी आ गई, वे असमंजस में पड़ गए। सूर्य की प्रातःकालीन किरणों को चीरती हुई वह कार उनके गेट के सामने आकर खड़ी हो गई। आनंद उत्सुकतावश बाहर निकले और कार की तरफ देखने लगे। कार का दरवाजा खुलते ही मुस्कान और उसके पति कार से बाहर निकले। उन्हें देखते ही उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने उनका अभिवादन किया और अपने ड्राइंग रुम में बिठाकर श्रीमती जी को आवाज दिया और मजाक में कहा कि मैडम आपके मैके वाले आए हैं, जल्दी बाहर आ जाइए। श्रीमतीजी भी दौड़ी-दौड़ी आई और मुस्कान को देखकर उससे लिपट गई। चाय-नाश्ते के बाद मुस्कान ने हाल-चाल पूछना शुरु किया और अचानक आने का कारण पूछा तो मुस्कान का जबाब सुनकर उनकी सासें थम सी गई। मुस्कान ने बताया कि जब आप कोलकाता मे थे, उस समय मेरी बेटी निकिता और आपका बेटा विजय बहुत ही छोटे थे परन्तु आप तो बहुत ही समझदार हैं और जानते ही हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। उसी समय दोनो में प्यार की चिनगारी जल चुकी चुकी थी और धीरे-धीरे आग की तरह फैलते ही गई। हां, इतना जरूर है कि

इसकी भनक हम दोनो को नहीं लग पाई थी। मुस्कान ने रूंधे स्वर में कहा- मेरी बेटी बहुत ही प्यारी है। तीन दिनों से अन्न ग्रहण नहीं किया है, कारण कि मेरे पति उसका हाथ पीला करने के लिए नदिया जिले के एक संभ्रांत परिवार में बात कर आए थे। लड़का भी बहुत कुशल होनहार था, उसका सोने-चांदी का कोलकाता में होलसेल का बहुत बड़ा बिजनेस है परन्तु निकिता यह सुनते ही भड़क उठी, बोली कि मुझसे बिना पूछे आपने क्यों बात की। मैं जब भी शादी करूंगी विजय से ही करूंगी। वास्तव में विजय और निकिता बहुत पहले से एक-दूसरे को चाहते थे। सारी बातें आनंद और उसकी धर्मपत्नी गौर से सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उपर से आसमान और नीचे से धरती दोनों के बीच पिसे जा रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वास्तव में मुस्कान और उनकी जाति भिन्न-भिन्न थी जो उनके समाज में कतई स्वीकार्य नहीं थी। इसके अलावा खान-पान, रहन-सहन सब कुछ पूरा अलग था। जहां मुस्कान के यहां प्रतिदिन मांसाहारी भोजन बनता था, वहीं आनंद के घर सभी लोग शुद्ध शाकाहारी थे। इसके अलावा भी मुस्कान अब कोलकाता के धनाढ्यों में गिनी जाने लगी थी और आनंद एक मामूली रिटायर्ड सरकारी अफसर थे। आर्थिक दृष्टिकोण से दोनो में कोई तालमेल नहीं था। बहुत ही विकट स्थिति थी। बहरहाल उन्होंने निकिता से फोन पर बात किया और आश्वासन दिया कि बेटी खाना खा लो, तुम्हारे प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करूंगा। बस थोड़ी मोहलत दे दो। यह सुनकर निकिता को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। वह खुशी से बोली- ठीक है अंकल, आप कह रहे हैं तो मैं खाना खा लेती हूं परन्तु मां ने भी तीन दिनों से कुछ नहीं खाया है। वे बोले- वह मैं देख लूंगा, तुम खाना खाओ। सारी बातों के पश्चात मुस्कान एक दिन रहकर पुनः कोलकाता लौट गई। मुस्कान को भी उन्होंने वही आश्वासन दिया जो निकिता को। अब बातचीत का दौर शुरु हुआ। अपने सुपुत्र जी से पूछा तो वे ठहरे वैज्ञानिक। वैज्ञानिक लहजे में ही उन्होंने उत्तर दिया। शादी-ब्याह मनुष्य को बरबाद कर देता है। देश सेवा ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। उनका देशप्रेम का भाषण शुरु हुआ तो रूकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने बात बीच में काटते हुए कहा, मैं यहां स्वतंत्रता दिवस पर आजादी की सालगिरह में शामिल होने नहीं आया हूं, श्रीमान मैं आपसे आपकी शादी के विषय में पूछ रहा हूं और यह भी पूछ रहा हूं कि क्या आप अन्य जाति में शादी करेंगे। आपको तो मालूम ही है कि हमारे समाज में सजातीय विवाह होते हैं। यह सुनकर सुपुत्र जी बोल उठे- मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। मेरा आफिस जाने का समय हो गया है। आप जैसा चाहें, वैसा करें। आपका निर्णय सर्वोपरि है।

मैंने अपने पूरे संयुक्त परिवार की बैठक बुलाई औय यह बात सबके सामने रखी गई। काफी विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय हुआ कि अब जमाना काफी बदल गया है। अगर लड़के-लड़की की खुशी इसी में है तो शादी कर ही देनी चाहिए। निकिता भी तो हिंदू ही है, गैर समुदाय होने पर सोचना पड़ता। फिर भी लग्न पत्रिका मिला लेना चाहिए। जब लग्न पत्रिका का मिलान हुआ तो पता चला कि मुस्कान का परिवार आनंद के ही जाति-धर्म का था, हां, उनका उपनाम अवश्य अलग था क्योंकि वे लोग बंगाली थे। लगभग सभी की सहमति हो जाने पर उन्होंने मुस्कान को फोन किया कि निकिता के साथ रिश्ता मुझे और मेरे परिवार को मंजूर है। शादी की तिथि एवं अन्य रस्मों-रिवाज के लिए आकर बात कर लें। ■

स्पर्धा ही जीवन है, उसमें पीछे रहना जीवन की प्रगति खोना है।

- सूर्यकांत त्रिपाठी निराला

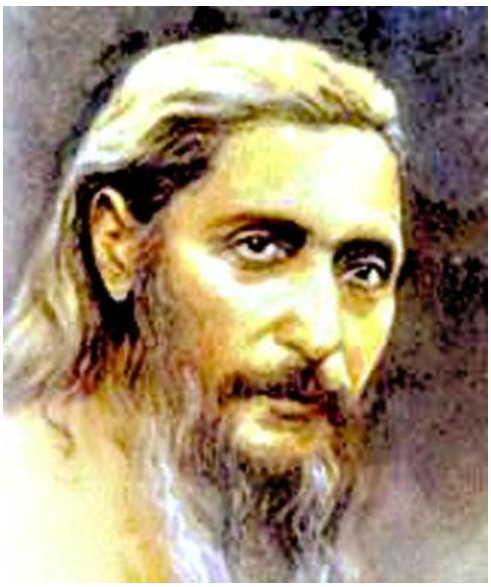

भाषा की गाथा

श्री राजेन्द्र कुमार कश्यप,
वरिष्ठ निजी सचिव, चंडीगढ़।

सोचा क्यों न हिंदी दिवस पर,
कुछ ऐसा हो जाए, भटकता ध्यान सभी का,
केवल भाषा पर केन्द्रित हो जाए।

हम, हमारे सहयोगी, क्या अधिकारी, क्या कर्मचारी,
हिंदी से, यू ही घबराते हैं,
विशेषतया पब्लिक प्लेस, सिनेमा, बैंक व डाकघर,
सबमें बोल अंग्रेजी, बहुत इतराते हैं या
यू कहिए कि अपनी इमेज बढ़ाते हैं।

ओह, मुझे एक प्रसंग याद आया,
डाकघर के लगा चक्कर पे चक्कर,
ले पेमेंट, एक सज्जन ने **थैंक यू** कह कर छुटकारा पाया,
लेकिन बहुत शोरगुल में, डाक कर्मचारी **फेंक दू** सुन पाया,
वह तिलमिलाया, हड़बड़ाया, दी गाली,

ऐ बुढ़ढे, है idiot, फेंक दूं बोलता है,
है तू single हड्डी, बात करता है कड़ी,
बस भाषा की खिचड़ी पका दी

सज्जन रूका, घबराया, कुछ समझ न पाया,
हुआ हक्का-बक्का, फिर जोश में आया, बड़बड़या,
ओए तू कान साफ कर या hearing aid लगा,

ये कहना था- हुए गुत्थम-गुत्था दोनो प्राणी
हुआ गाली गलोच- लगे उपसर्ग व विसर्ग,
डाकघर बन गया अखाड़ा,
टूटे कांच, मेज, कुर्सी, सब भाषा की जुबानी,

अंततः हुआ सहयोगी की पहल पर छुटकारा,
खत्म नजारा, जड़ दिया भाषण,
अंग्रेजी के मिक्स प्रयोग पर सारा,

समझ नहीं आता, क्यों शरमाते हैं हम मातृभाषा के प्रयोग पर,
नजर उठा कर देखो, क्या चीनी या जापानी
अपनी भाषा के प्रयोग पर इतराते हैं

न केवल इन्होने अपनी भाषा की प्रतिभा बढ़ाई है
अपितु दूसरे मुल्कों में भी भाषा की पहचान बनाई
हम भी गर्व से इन्हें सीखने का प्रशिक्षण पाते हैं,
परन्तु न जाने, क्यों अपनी भाषा के प्रयोग पर झिझक जाते हैं।

अतः समय आ गया है-
न सीमित रहे, हिंदी दिवस तक, भाषा का प्रयोग
केवल टिप्पणी, टंकण, निबंध व कविता तक रहे इसका
सीमित प्रयोग,

बिना हिचक इसे देश की सर्वप्रिय भाषा बनाए
करोड़ो हिंदुस्तानियों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी जगह बनाएं
लोग इतराएं व मुस्करा कर फरमाएं
ये है हिंदी भाषा हिंदुस्तान की,
भाषा हर जुबान की, भाषा हर जुबान की। ■

हिंदी मातृभाषा

श्रीमती सरोजबाला,
कार्यालय अधीक्षक, चंडीगढ़।

तुझे 14 सितंबर 1949 को,
राजभाषा के सिंहानस पर बिठाया है।
यह दिन तबसे गौरवशाली है,
हर वर्ष प्रोत्साहन लेकर आया है।

हर वर्ष हम यह पर्व मनाते हैं,
लेकर प्रतियोगिता में भाग ईनाम भी पाते हैं,
परन्तु पूर्ण वर्ष इसको भुला कर,
क्या हम अपना फर्ज निभाते हैं।

केवल हिंदी दिवस मनाने से,
हम अपनी मंजिल तक न पहुंच पाएंगे,
यह हमारी मातृभाषा, यानि मां की भाषा है,
जिसकी यह हकदार है, मान न दे पाएंगे।

विदेशी भाषा बोलने से,
क्यों गर्व का आभास होता है,
सबसे ऊंचा है मां का स्थान,
क्यों मां की भाषा अपनाने से मन संकोचता है।

तरेसठ वर्ष बीतने पर भी,
हिंदी अपनी होकर बेगानी है,
आज भी भारतीयों के दिलों पर,
छपी है विदेशी भाषा की छाप हमें मिटानी है।

आओ मिलकर यह प्रण करें,
हम सदैव हिंदी में कार्य करने का प्रयास करेंगे,
केवल प्रतियोगिता केलिये ही नहीं,
इसकी प्रगति में पूर्ण योगदान देंगे। ■

सच में जीती है जीवन चिडिया

पी.के.बिजु,
वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, मुंबई।

उडती है कहीं भी मन चाहे
खर्चा तो कुछ होता नहीं उसकी
मिलता है सब उसे मुफ्त में
सच में जीती है जीवन चिडिया।

जाना नहीं है उसे कोई काम को या पढने को
मगर उठती है सुबह,
सबको जगाती है मधुर गीतों से
सच में जीती है जीवन चिडिया।

ईश्वर ने रचाया है सब को सुन्दर
मगर सबसे सुन्दर है चिडिया
दुनिया सुन्दरतम बनाया है उसी केलिए,
सच में जीती है जीवन चिडिया।

असीम,अनुपम जीवन है उसका
उसी ने देखा दुनिया को पूर्ण
सब कर्मों की वही एक साक्षी
सच में जीती है जीवन चिडिया।

अगर वह बताने शुरू कर देती
सब मामलों का सच निकलता
सच्चाई का राज उसी से होगा,
सच में जीती है जीवन चिडिया।

जीना चाहता हूँ जीवन चिडिए का
अगले जनम में बनूँगा चिडिया
घूमूँगा इस दुनिया में मुफ्त,
सच में जीती है जीवन चिडिया। ■

बाबा अमरनाथ की मेरी अविस्मरणीय यात्रा

श्री ए.जे. जोषी,
मुख्य लिपिक, अहमदाबाद।

अमरनाथ महादेव का परम पावन स्थल तीर्थों का घर कश्मीर में है। अमरनाथ बाबा की सुप्रसिद्ध गुफा हिमाच्छादित पर्वतों के मध्य 12730 फीट उँचाई पर है। स्वयं प्रकट होने वाला यह शिवलिंग अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़कर पूर्ण होता है और पुनः छोटा होना प्रारंभ होता है। इस गुफा में सभी यात्रियों के अदभुत सात्विकता एवं शांति का एहसास होता है। वास्तव में, जिन्हें दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है, केवल वही भक्तजन समझ सकते हैं कि पवित्र गुफा में प्रवेश करके कितना आलौकिक आनंद प्राप्त होता है।

यह ध्यान में रखें कि अमरनाथ जाने से पूर्व निर्धारित बैंक/स्थलों पर पंजीकरण, चिकित्सा रिपोर्ट करवाना आवश्यक है। यात्रा के दौरान अपने साथ बरसाती, स्वेटर, टोपी, जरूरी दवाईयों के साथ-साथ अन्य चीज़-वस्तु जो ठंड एवं लंबी यात्रा के लिए जरूरी है ये सभी चीजें अपने साथ रखना आवश्यक है ताकि संभवित कठिनाईयों से बचा जा सके।

भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से मैं, मेरे पांच रिश्तेदारों के साथ अहमदाबाद से दिनांक 03.07.2012 को सुबह 11.00 बजे निकल कर दूसरे दिन 1476 कि.मी. की यात्रा के बाद रात को 8.00 बजे जम्मू पहुंचे। तत्पश्चात, दिनांक 06.07.2012 को सुबह जम्मू से 295 कि.मी. पहलगांव पहुंचे, वहां से 16 कि.मी. चंदनवाड़ी गए। वहां से हमने पवित्र यात्रा का पैदल शुभारंभ किया। पिस्सूटोच, झोझीबाल, नागाकोटि होते हुए शेषनाग पहुंचे। रास्ते में बारिस, तूफान तथा ठंड का सामना करना पड़ा। उस समय हमारे साथी यात्री/ रिश्तेदार रास्ते में हमसे बिछड़ गए थे। रात्रि को हम शेषनाग स्थित टेंट में ठहरे। सुबह पुनः हमारी यात्रा का प्रारंभ पिठ्ठू पर बैठकर किया क्योंकि हम काफी थक गये थे। हम 14,500 फीट की उंचाई पर गुनासटोप होते हुए सभी प्रकार की कठिनाईयों को पार करते हुए पंचतारिणी स्थल शाम को पहुंचे और वहीं पर हमने रात्रि मुकाम किया। सुबह काफी जल्दी उठ कर हम बर्फीले बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़े। मंजिल पास आने से उसका इंतजार करना कठिन होता है। सुबह 11 बजे के करीब गुफा पहुंचे जो समुद्रतट से 12730 फीट की ऊचाई पर स्थित है, 60 फीट की लंबाई है, 30 फीट की गहराई और 15 फीट ऊचाई अदभूत है। यह गुफा किसी इंजीनियर ने नहीं बनाई है। यह कुदरत का कमाल है ! शास्त्रों, वेदों एवं पुराणों में रूद्र का स्थान इशान कोने में होता है ऐसा वर्णन किया है, इसी तरह गुफा में भी स्वयंभू शिवलिंग का आकार इशान कोने में ही है। शिवलिंग के दर्शन करके मन को शांति मिलती है।

जम्मू, पहलगांव, चंदनवाड़ी, शेषनाग, बालताल और जम्मू से वापसी के दौरान वहां पर दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और अन्य राज्यों के भंडारे हैं। भंडारे में चाय-नास्त, मिठाई, नमकीन, खाने की अन्य व्यवस्था भी है। रात्रि निवास के लिए सोने की व्यवस्था के साथ-साथ स्नान के लिए गरम पानी, कुछ भंडारों में तो मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था भी है और दवाईयां भी निशुल्क उपलब्ध है। भंडारे के स्वयंसेवक सभी यात्रियों को प्रणाम कर अपने यहां प्रसाद ग्रहण करने हेतु आमंत्रित करते हैं। धन्य हैं वे लोग जो यात्रियों की भावपूर्ण सेवा करते हैं।

इसी जगह पर हमारे देश के वीर सिपाही यात्रिओ की रक्षा करते हैं तभी यह यात्रा संभव हो सकती है। देश के वीर सिपाहियों को हमारा शत-शत प्रणाम।

अमरनाथ यात्रा के लिए हेलिकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध है। हेलिकॉप्टर के माध्यम से जाने के दो रास्ते हैं, पहलगांव से पंचतारिणी और बालताल से पंचतारिणी जिसकी बुकिंग पहले से ही करवानी अनिवार्य है। पंचतारिणी से गुफा का रास्ता केवल 06 किलोमीटर दूरी पर है।

सुबह 11 बजे बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के पश्चात वापसी के लिए गुफा से बालताल के लिए पैदल चल पड़े। बरारी और दोमेल होते हुए रात को 10 बजे बालताल पहुंचे। रात को वहीं पर मुकाम किया। अगली सुबह हमने आगे की यात्रा जारी रखी, दोपहर करीब 12 बजे बाबा अमरनाथ की कृपा से हमें हमारे बिछड़े साथी/रिश्तेदार भी मिल गए। हमने बालताल से शाम को बस यात्रा शुरू की, करीब 22 घंटो के सफर के बाद दोपहर को 02 बजे जम्मू पहुंचे। जम्मू में स्नानादि निपटाकर विश्राम करने के पश्चात दूसरे दिन सुबह माता वैष्णोदेवी के दर्शन के लिए निकल पड़े। बाद में, हम अमृतसर भी गए। वहां वाघा बॉर्डर भी देखी। दुर्गामाता के मंदिर गए और माताजी के दर्शन कर धन्य हो गए। दूसरे दिन जलियावाला बाग और सुवर्ण मंदिर भी देखा।

बाबा अमरनाथ की यात्रा के दौरान जिन लोगों ने हमें हिम्मत, सांत्वाना एवं हमारे लिए आवश्यक व्यवस्था की, हम उन सभी के बहुत-बहुत आभारी हैं।

ऊँ मृत्युंजय महादेव मां माम शरणआगतम।
जन्ममृत्यु जराव्याधि पीडीतं कर्मबंधने।।
ऊँ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारूकमेव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्।।

हर यात्रा बार-बार, अमरनाथ यात्रा एक बार। ■

राजभाषा हिंदी

श्री तरुण कुमार,
उच्च श्रेणी लिपिक, मुंबई।

हिंद देश के हम हैं निवासी, हिंदी हमारी पहचान है,
कई भाषाओं को अपनाया है हमने, पर हिंदी हमारी शान है,
पंजाबी, तेलगु, तमिल, गुजराती.....सबका यहां सम्मान है,
पर, हिंदी है भारत की सर्वश्रेष्ठ भाषा, रखना इसका ध्यान है,
हिंदी से ही भारत मां के मुख पर मुस्कान है,
हिंदी है भारत मां का गहना, यह तो उसकी आन है।

हिंदी है देश की धड़कन, हिंदी देश की जान है,
हिंदी बिना भारत मानो, शरीर बिन प्राण है,
जिसे है अपने देश से प्रेम, हिंदी उसका अभिमान है,
जो समझे हिंदी का महत्व, वह व्यक्ति वड़ा विचारवान है,
जो करता हिंदी का आदर, वही भारत मां की सच्ची संतान है।

हिंदी को तुच्छ जो समझे, वह बड़ा नादान है,
हिदी की विशालता से वह बिल्कुल अंजान है,
हिंदी से है देश की एकता, इसका नहीं उसे ज्ञान है,
हिंदी है राष्ट्र का गौरव, इसका नहीं उसे भान है,
है वह कैसा भारतवासी, कैसा वह इंसान है,
कहने को है एक आदमी, पर ह्रदय उसका वीरान है,
कहना उसे एक हिंदुस्तानी, मातृभूमि का अपमान है,
हिंदी है देश की आत्मा, हिंदी देश का मान है।

हिंदी है बड़ी सबल, हिंदी बड़ी गुणवान है,
हिंदी है बड़ी सरस, हिंदी बड़ी आसान. है,
हिंदी की सीमाएं हैं असीम, हिंदी बड़ी बलवान है,
अपनाया है इसने कई भाषाओं के शब्दों को, हिंदी बड़ी महान है,
हिंदी के पास है विशाल शब्द भंडार, हिंदी बड़ी धनवान है,
हिंदी को हम पढ़े-समझे, इसमें सबका कल्याण है,
जो जाने अच्छी हिंदी, वह भी एक विद्वान है,
हिंदी एक भाषा नहीं, हिंदी एक वरदान है,
हिंदी में ही देश की संस्कृति विद्यमान है,
हिंदी पर सौ-सौ भाषाएं कुर्बान है,
हिंदी से हुआ भारत संपूर्ण, हिंदी से हिंदुस्तान है। ■

जब याद तुम्हारी आती है

श्री बी.एस. सोनी,
उच्च श्रेणी लिपिक, अहमदाबाद।

जब बहुत सुबह चिड़ियां उठकर
कुछ गीत खुशी के गाती है,

कलियां दरवाजे खोल-खोल,
जब दुनिया पर मुस्कराती हैं,

खुश्बू की लहरें जब घर से,
बाहर आ दौड़ लगाती हैं,

हे ! जग के सिरजनहार प्रभो,
तब याद तुम्हारी आती हैं !

जब छम-छम बूंदे गिरती हैं,
बिजली चम-चम कर जाती हैं,

मैदानों में, बन-बागों में,
जब हरियाली लहराती हैं,

जब ठंडी-ठंडी हवा कहीं से
मस्ती ढोकर लाती हैं,

हे ! जग के सिरजनहार प्रभो,
जब याद तुम्हारी आती हैं ! ■

बिटिया

श्री अशोक सिंह,
उच्च श्रेणी लिपिक, जबलपुर।

आज भी रामभाऊ के घर से सास-बहू की तकरार की आवाजें बाहर आ रही थी। वह क्रम पिछले पांच साल से चल रहा था, जब से रामभाऊ के पिता स्वर्ग सिधारे थे। घर में बूढ़ी मां की सेवा चाकरी और पेंशन के पैसे ही इस झगड़े की मुख्य वजह थे। रामभाऊ के घर से इस तरह की आवाजें आना मानों रोज का क्रम था, इसलिए मोहल्ले वाले भी बेपरवाह थे।

रामभाऊ सुबह सबेरे अपने काम पर चला जाता और शाम को घर पर वापस आता था, दिन भर घर में क्या हुआ इसकी उसे कोई खबर नहीं रहती थी, फिर भी रामभाऊ की पत्नी मौका मिलते ही सारी बातें उसे बता दिया करती थी। रामभाऊ की एक बहन भी थी रामवती जो कि शहर में ही रहा करती थी और अपनी अम्मा की खैरियत जानने के लिए कभी-कभी भाई के घर आ जाया करती थी। रामभाऊ की पत्नी को अपनी ननद का घर आना पसंद नहीं था क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि दीदी हमारे घर आकर अम्मा को न जाने क्या सिखा जाती है जिसके कारण वह रोज मुझसे झगड़ा करती है। जबकि वृद्धा हमेशा यह कहती कि बहू को उनका घर रहना पसंद नहीं है इसलिए वह बात-बे-बात झगड़ा किया करती है और सारा दोष मुझ पर डाल देती है। वृद्धा बीमार थी तथा चलने-फिरने में असमर्थ थी इसलिए घर के सारे कामों के साथ-साथ उनकी सेवा करना बहू के लिए असहाय था फिर भी वह दोनो कामों में सामंजस्य बिठाने का पूरा प्रयास करती थी, वृद्धा की सेवा में यदि देर हो जाती थी तो यह झगड़े का मुख्य कारण बनता था।

आज भी कुछ ऐसी ही बातों पर कोहराम मचा था और वृद्धा जोर-जोर से रो-रोकर ईश्वर से अपनी मौत का फरमान मांग रही थी, वही पुत्र वधु खड़ी-खड़ी उस घड़ी को कोस रही थी जब उसका विवाह रामभाऊ के साथ हुआ था। इसी समय रामभाऊ की बहन रामवती अम्मा का हाल जानने के लिए आई और यहां की स्थिति देख कर उसने अपनी भाभी को समझाने का प्रयास किया और कहा देखो भाभी अम्मा बहुत बूढ़ी हो गई है तथा बीमारी के कारण कुछ चिड़चिड़ी भी हो गई है, इसलिए यदि वे कभी कुछ कह दे तो आप बुरा न माना करें उनका क्या " आज मरे कल तीसरा दिन।" वैसे भाभी अम्मा आपकी तारीफ किया करती है। छोड़ो दीदी आप तो मुझे समझाने लगी जैसे सारा दोष मेरा ही हो। नहीं-नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है फिर भी आपसे विनती तो कर ही सकती हूं। दीदी आपकी सास नहीं है, इसलिए आपको सारा ज्ञान सूझ रहा है, यदि आपकी भी ऐसी सास होती तो फिर आपका सारा ज्ञान फुर्र हो जाता। ननद-भाभी की सारी बातें बूढ़ी अम्मा सुन रही थी वह जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला कर बहू के पीहर के बारे में भली बुरी बातें कहने लगी जो कि बहू को अच्छा नहीं लगा और बात शांत होते-होते फिर से तू-तू मैं-मैं पर आ गई। स्थिति नाजुक होते देख कर रामवती ने कहा कि अच्छा भाभी मैं इस झगड़े की पोटरी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ लिए जाती हूं। इतना कहकर रामवती गली से सायकल रिक्शा वाले को बुला लाई तथा अम्मा का झोला लेकर उसे अपने साथ अपने घर ले गई। वातावरण परिवर्तन और सेवा का परिणाम यह हुआ कि अम्मा को मानो नई जिंदगी मिल गई।

एक दिन अम्मा आंगन में बैठी धूप सेंक रही थी कि उसी समय रामवती ने देखा कि उनकी आंखों से आंसू झर रहे हैं, यह देख रामवती ने कहा अम्मा क्या हो गया आपको कोई तकलीफ है क्या? अम्मा बोली नहीं बेटी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ये आंसू तो खुशी के आंसू हैं। बेटी जब तुम्हारा जन्म होने वाला था, तब मैंने तुम्हें इस संसार में आने से रोकने का बहुत जतन किया था किंतु तुम्हे तो इस संसार में आना था सो आई। जब तुम्हारा जन्म हुआ उस समय भी मैंने कोई खुशी नहीं मनाई न ही तुम्हारे लालन-पालन पर रामभाऊ के समान ध्यान दिया। किंतु आज सोचती हूं कि ईश्वर ने जो किया वह अच्छा ही किया नहीं तो आज मेरी सेवा कौन करता। बेटी तूने बेटी होने का अपना फर्ज निभाया है। वैसे बेटी तेरी भाभी भी दिल की बुरी नहीं है, वह भी दिन भर घर गृहस्थी के काम में लगी रहती है और साथ-साथ मेरी सेवा भी करती रहती है, अब देर सबेर तो हो ही जाती है, मैं ही हूं जो उस पर नाराज हो जाती हूं। वह तो सही में घर की लक्ष्मी है। बेटी लक्ष्मी है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूं कि जैसी बहू-बेटी मुझे मिली वैसी संसार की सभी माओं को मिले। मां-बेटी की बातें चल ही रही थी कि इसी बीच पुत्रवधु घर में आती है और कहती है अम्मा, मुझसे गलती हो गई क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ घर चलिए वहां आपको कोई कष्ट नहीं होगा। अम्मा मैं ने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, अम्मा मैं भी किसी मां की बेटी हूं, कैसे अपना फर्ज भूल सकती हूं, चलिए अम्मा, चलिए अपने घर चलें।

अम्मा की आंखों से अश्रुधारा बह चली। वह भगवान को धन्यवाद देते हुए बोली भगवान तूने मुझे एक नहीं दो-दो बिटियां दी है। ऐसी ही बिटिया सबको देना, ऐसी ही बिटिया सबको देना। ■

नारी तुम केवल श्रद्धा हो

श्री राम प्रकाश कुमार,
अवर श्रेणी लिपिक, जबलपुर।

नारी शक्ति का प्रतीक है वह सृष्टि की रचियता है। प्रेम की बाती और स्नेह का तेल इन दोनों से वह सदियों से जीवन रुपी दीप प्रज्जवलित करती चली आ रही है।

आदम और हव्वा से शुरू होती है सृष्टि में मानव रचना की कल्पना। कवि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में मनु और श्रद्धा से विकास की, नारी की महत्ता की, प्रतिष्ठा का वर्णन किया है। जीवन में जब-जब मनु विचलित हुए कभी श्रद्धा और कभी बुद्धि के रुप में सहारा दिया नारी ने तभी तो कवि प्रसाद ने कहा हैः

"नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग पग तल में।
पीयूष स्त्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। "

यह बहाव भावनाओं का है। महिलाएं अपनी भावनाओं में स्वयं बंधी हैं, उन्हें बांधने की क्षमता किसी में नहीं है, अपनी महत्ता को नकारते हुए वह चाहरदीवारी से बाहर निकलना ही नहीं चाहती, आखिर क्यों? क्या कमी है उनमें? यह प्रश्न एक से नहीं सारे नारी समाज से किया जा रहा है। वह अपनी क्षमता को सीमित रख उसे धवस्त कर क्यों अपना ही स्थान खो रही है? चाहे वह मां के रुप में हो, बहन के रुप में हो, बेटी के रुप में या पत्नी के रुप में हो। क्या कल्पना की जा सकती है इन रिश्तों के बिना समाज की?

बड़ी अहम भूमिका है हर क्षेत्र में नारी की। घर में गृहलक्ष्मी, युद्ध स्थल में रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, पतिव्रता सीता, गांधारी। त्यागमयी ममतामयी मां जो रोज रातों को जागकर अपने बच्चों को पालती है अपने बच्चों का सारा दुःख अपने आंचल में समेट उसे बड़ा करती है तभी तो कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त ने कहा हैः

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।
आंचल में है दूध और आंखों में है पानी।। "

आंखों का पानी सिर्फ आंसू के रुप में किसी दुःख की अभिव्यक्ति ही नहीं है ममतामयी सुख है, त्याग है। गौतम बुद्ध, गांधी, वीर शिवाजी जैसे महापुरूषों की वीर प्रसूता नारी परिवार से लेकर राष्ट्र तक किसी भी कार्य क्षेत्र में वह पीछे नहीं बल्कि समान भागीदारी रखती है फिर क्यों आगे आने से डरती है? समय आ गया है जब उन कमियों को उजागर करना ही होगा तभी जागरूकता आ सकेगी।

पहला तो उनके भीतर के खोये आत्मविश्वास को जगाना होगा। दृढ़ विश्वास ही सफलता की प्रथम सीढी है। दूसरा है हमारा अज्ञान कुछ तो अशिक्षा इसका कारण है, कुछ उनकी मानसिकता का इस पर प्रभाव है कि उन्हें क्या करना है? रोटी तो बनाना है कौन सा बाहर जाना है, यह एक प्रकार की असुरक्षा का मन के भीतर बहुत गहरे बढ़ा हुआ भाव है जो उन्हें असुरक्षा का अहसास कराता है। इसमें दोषी है हमारे समाज की परंपरा। बचपन से ही लड़कियों के मन में एक विशेष बोध का भरा जाना पिता पिता का सहारा, पति का सहारा, बेटे का सहारा। ये सहारे भीतर ही भीतर असुरक्षा की ग्रंथि को दृढ़ बनाते जाते हैं। वह इन सहारों के सिवा अपनी कल्पना ही नहीं करती आखिर क्यों?

वे अपनी सारी शक्ति व्यर्थ के कार्यों में गवां देती है। उन्हें हमें रचनात्मक कार्यों में लगाना होगा ताकि आज तक किए गए कार्यों का सार्थक स्वरुप सामने आ सके। विकास कार्यों में उनकी पूर्ण भागीदारी हो चाहे सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक जो भी क्षेत्र हो उसमें उनकी बौद्धिक क्षमता का परिचय देने का समय आ गया है।

माता बालक की प्रथम शिक्षिका है, यही से प्रारंभ होती है समाज निर्माण की, नैतिकता के विकास की गति। आज के इस कुत्सित वातावरण को परिवर्तित करने की क्षमता केवल नारी में है। एक संभ्रांत परिवार से ही एक संभ्रांत समाज और राष्ट्र बन सकता है।

नारी की गुलामी की मानसिकता में परिवर्तन न होने की एक मात्र दोषी नारी स्वयं है। उनकी बेड़िया वे नहीं काट पाई तो दूसरा कहां तक सहारा देगा सहारे के साथ वह अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा। हम उन्हें कमजोर बताकर आमंत्रण देते हैं दूसरों को राज करने का। आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि पुरूषों से अधिक कार्य क्षमता नारी में है फिर क्यों न वे सजग प्रहरी बन अपनी रक्षा आप करें।

आधुनिकता की दौड़ में दोहरी भूमिका का निर्वाहन नारी की ज्वलंत समस्या है, उनकी भावनाओं पर होने वाले कुठाराघात जिनके घाव नासूर बनकर आजीवन रिसते हैं फिर भी वह मजबूर है जीवन जीने के लिए।

नारी कहीं कहीं स्वयं भी दोषी है अंधानुकरण प्रतिस्पर्धा, अतिशय महत्वाकांक्षाओं का होना सबसे बड़ा अक्षम्य दोष है। स्वयं नारी का नारी की शत्रु होना उनकी यह भावना "घर फूंक तमाशा देख" वाली स्थिति पैदा करती है। विलासिता सदैव आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म देती है। दहेज रुपी दानव हजारों महिलाओं को निगल रहा है और हम चुपचाप हैं। जिस परिवार में दहेज की मांग होती है क्या उस घर में महिलाएं नहीं होती, उनकी बेटियां नहीं होती। आज नारी अपने परिवार में प्रण कर ले कि बेटे की शादी में दहेज नहीं लेगी यह निश्चय पूर्वक लिया गया निर्णय अवश्य प्रभावी होगा क्योंकि त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। लड़की के जन्म से दुःखी पहले मां होती है पिता नहीं। क्या उन्हें भरोसा है पढ़ लिखकर खर्च करने के बाद लड़का आपका साथ देगा। प्रेमचंद ने सच ही कहा हैः-

"लड़कों से लड़की भली जो कुलवंती होय"

आज समय आ गया है उनकी सोच में परिवर्तन लाने का।

अपव्यय और संयम दो विरोधी परिस्थितियां है, अपव्यय पतन की ओर ले जाता है और संयम उत्थान की ओर। सृष्टि के रचियता ने जो शक्ति नारी को प्रदान की है, नारी स्वयं साक्षात चंडी है, शक्ति स्वरुपा है, यदि वह निश्छल माया मोह से परे सादा जीवन उच्च विचार लिए त्याग की प्रतिमूर्ति बन जन कल्याणकारी कार्यों से जुड़े तभी वह भारतीय संस्कृति में अपना दिव्य देवी स्वरुप स्थान पा सकेगी।

एक चिंगारी अगर बारूद के ढ़ेर में रख दी जाए तो पल भर में सब कुछ राख कर धूल धूसरित अंधकारमय क्षेत्र जन्म देती है। वही स्वाती नक्षत्र के जल की एक बूंद सीप में पड़कर आभायुक्त मोती को जन्म देती है।

अब नारी क्या बनना चाहेगी नारी पर ही निर्भर है.....।

डॉ. राधाकृष्णन के द्वारा कहा गया है – "नारी नर की सहचरी, उसके धर्म की रक्षक, गृहलक्ष्मी तथा उसे देवत्व तक पहुंचाने वाली होती है।" ■

धरती एवं माता

श्री अभिराम कुमार,
अवर श्रेणी लिपिक, हैदराबाद।

एक हमारी प्यारी माता
एक हमारी धरती माता
दोनों हैं प्यारी, दोनों हैं न्यारी,
दोनों का करों सम्मान

इससे ही होता है, सभी का कल्याण
धरती पर हमेशा देखना चाहते हैं
शांति खुशी और हरियाली,
कभी न देखना चाहते हैं

मां के आंखों में आंसू,
धरती पर है पावन गंगा
धरती पर है पावन पर्वत
धरती पर है अनेकों धाम,

धरती है सबसे सुंदर स्थान।
धरती पर हि आए हैं
समय-समय पर भगवान,
धरती मां का करो संरक्षण,

सदा रहेगा खुशहाली जीवन।
मां का भी करो सम्मान,
खुशहाली रहेगा जीवन
कभी न रूकेगा कोई काम। ■

अजन्मी बेटी करे पुकार

श्री विनोद पाटणकर,
स्टाफ कार चालक, इंदौर।

अजन्मी बेटी करें पुकार,
भ्रूण हत्या से मिट जाएगा संसार।

न भाई दूज मनेगी, न राखी मनेगी,
मां की कोख यूं हीं शापित रहेगी,
न कुल रहेगा, न कुलपति रहेगा,
न ही नारी का नाम रहेगा।

अजन्मी बेटी करें पुकार
भ्रूण हत्या से मिट जाएगा संसार।

जन्मदाता ही घोट रहे बेटी का गला
हे जन्मदाता, तू क्यों इस राह चला
माना कि तेरे पास दहेज नहीं है,
पर बेटी होने पर खुशियों की कमी नहीं है।

अजन्मी बेटी करे पुकार
भ्रूण हत्या से मिट जाएगा संसार।

कल्पना चावला और साइना नेहवाल का
जो उदाहरण देते हैं,
वहीं लोग बेटी होने पर मातम मनाते हैं
और बेटा होने पर खुशियां मनाते हैं।

अजन्मी बेटी करे पुकार
भ्रूण हत्या से मिट जाएगा संसार।

यूं ही अगर भ्रूण हत्या होती रही
तो न दुल्हन मिलेगी, न बहू मिलेगी,
मर्यादा और संस्कारों की मौत होती रहेगी।

अजन्मी बेटी करे पुकार
भ्रूण हत्या से मिट जाएगा संसार।■

कला का सत्य जीवन की परिधि में सौन्दर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त अखंड सत्य है।
- महादेवी वर्मा

वर्ष 2012 में माननीय सदस्यों की नियुक्ति

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/श्री)	पदनाम	पीठें जहाँ वर्तमान में कार्यरत है	नियुक्ति की तिथि
1.	चंद्र मोहन गर्ग	न्यायिक सदस्य	दिल्ली	23.01.2012
2.	शक्तिजीत डे	न्यायिक सदस्य	हैदराबाद	23.01.2012
3.	चल्ला नागेन्द्र प्रसाद	न्यायिक सदस्य	चेन्नै	23.01.2012
4.	अमित शुक्ला	न्यायिक सदस्य	मुंबई	23.01.2012
5.	विकास अवस्थी	न्यायिक सदस्य	चेन्नै	23.01.2012
6.	सतबीर सिंह गोधरा	न्यायिक सदस्य	चेन्नै	23.01.2012
7.	कुल भरत	न्यायिक सदस्य	अहमदाबाद	23.01.2012
8.	विवेक वर्मा	न्यायिक सदस्य	मुंबई	23.01.2012
9.	जासन पी. बोज	लेखा सदस्य	बेंगलूरू	23.01.2012
10.	तरविंदर सिंह कपूर	लेखा सदस्य	दिल्ली	23.01.2012
11.	अनिल चतुर्वेदी	लेखा सदस्य	अहमदाबाद	23.01.2012
12.	नरेन्द्र कुमार बिल्लैया	लेखा सदस्य	मुंबई	23.01.2012
13.	तेज राम मीना	लेखा सदस्य	अहमदाबाद	23.01.2012
14.	राजेन्द्र	लेखा सदस्य	मुंबई	19.03.2012
15.	संजय गर्ग	न्यायिक सदस्य	मुंबई	01.11.2012
16.	डॉ एस. थमीझ मुथार पवलान	न्यायिक सदस्य	मुंबई	01.11.2012

वर्ष 2012 में वरिष्ठ निजी सचिवों /निजी सचिवों की नियुक्ति

क्रम सं.	नाम	पदनाम	पीठ	नियुक्ति की तिथि
1.	नंद किशोर चौधरी	वरिष्ठ निजी सचिव	अहमदाबाद	09.04.2012
2.	टी.एन. मुरली मोहन	वरिष्ठ निजी सचिव	मुंबई	02.04.2012
3.	संजीत कुमार सिन्हा	वरिष्ठ निजी सचिव	अहमदाबाद	07.05.2012
4.	प्रकाश कुमार मिश्रा	निजी सचिव	मुंबई	27.03.2012
5.	सुश्री संगीता सिंहा	निजी सचिव	दिल्ली	09.04.2012
6.	एम. सतीश कुमार	निजी सचिव	पुणे	26.04.2012
7.	अनिल कुमार वर्मा	निजी सचिव	दिल्ली	14.05.2012
8.	अमित कुमार	निजी सचिव	दिल्ली	28.05.2012
9.	आशीष कुमार	निजी सचिव	अहमदाबाद	21.05.2012

अप्रैल से दिसंबर 2012 की अवधि में माननीय सदस्यों की सेवानिवृत्ति

क्रम सं.	नाम	पदनाम	पीठ	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	कृष्ण गोपाल बंसल	लेखा सदस्य	दिल्ली	19.07.2012
2.	केशव देव रंजन	लेखा सदस्य	दिल्ली	19.08.2012
3.	ए.एन. पहुजा	लेखा सदस्य	दिल्ली	17.12.2012
4.	चिंतदा धनुंजय राव	लेखा सदस्य	कोलकाता	20.12.2012

अप्रैल से दिसंबर 2012 की अवधि में अधिकारियों की सेवानिवृत्ति

क्रम सं.	नाम	पदनाम	पीठ	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	एस.टी. वाकोडे	वरि.स.नि.	मुंबई	31.05.2012
2.	ए.वी.अंकम	वरि.स.नि.	पुणे	31.05.2012
3.	एस.के.राय	सहायक पंजीकार	पणजी	30.04.2012
4.	पी.वी. शिवरामन	उप पंजीकार	अहमदाबाद	30.04.2012
5.	एम.आर. वलेरा	वरि.स.नि.	अहमदाबाद	30.04.2012
6.	डी.के. श्रीवास्तव	सहायक पंजीकार	जयपुर	31.05.2012
7.	एच.के. दास	वरि.स.नि.	जयपुर	30.06.2012
8.	एस.पी. सरिता	वरि.स.नि.	दिल्ली	30.04.2012
9.	रोजली मैथ्यू	वरि.स.नि.	दिल्ली	31.05.2012
10.	श्रीमती जी.के. कमलम्मा	सहायक पंजीकार	बेंगलूरु	31.05.2012

अप्रैल से दिसंबर 2012 की अवधि में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति

क्रम सं.	नाम	पदनाम	पीठ	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	सी. इनेय्शु	स्टाफ कार ड्राइवर	चेन्नै	31.05.2012
2.	एन.के. हिले	प्रधान लिपिक	पुणे	31.05.2012
3.	आर.बी. पाटिल	स्टाफ कार ड्राइवर	बेंगलूरु	31.05.2012
4.	श्रीमती गुलबहार	सहायक	दिल्ली	30.06.2012
5.	एस.के. नाग	उच्च श्रेणी लिपिक	कोलकाता	30.06.2012
6.	सुमेर सिंह	स्टाफ कार ड्राइवर	जयपुर	31.08.2012
7.	बी.सी. दास	अवर श्रेणी लिपिक	गुवाहाटी	31.08.2012
8.	ए.आर. परमार	वरिष्ठ चपरासी	अहमदाबाद	30.09.2012
9.	एन.एस. परमार	उच्च श्रेणी लिपिक	राजकोट	30.09.2012
10.	श्रीमती अंजू राय	उच्च श्रेणी लिपिक	कोलकाता	30.09.2012
11.	वाहिद खान	उच्च श्रेणी लिपिक	बेंगलूरु	30.09.2012
12.	के.के. रामचंद्रन	वरिष्ठ चपरासी	कोचीन	30.09.2012
13.	पी.एन. त्रिपाठी	उच्च श्रेणी लिपिक	इलाहाबाद	30.09.2012
14.	एम. गोविंदन	प्रधान लिपिक	चेन्नै	31.10.2012
15.	वी.एस. सोलंकी	स्टाफ कार ड्राइवर	गुवाहाटी	31.12.2012

आयकर अपीलीय अधिकरण, चंडीगढ़ न्यायपीठ ' ए' चंडीगढ़
श्री एच.एल. कार्वा, माननीय उपाध्यक्ष एवं
श्री टी.आर. सूद, माननीय लेखा सदस्य

आई.टी.ए. 319 व 320/ चंडी/2012 में
निर्धारण वर्ष 2001-2002

में एक्सपोर्ट हाउस, लुधियाना पेन नं. AAAFJ 8074F **(अपीलार्थी)**	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त, सर्कल-2, लुधियाना **(प्रत्यार्थी)**

अपीलार्थी पक्ष से: श्री सुधीर सेहगल
प्रत्यार्थी पक्ष से: श्री एन.के. सैनी

सुनवाई की तिथि: 09.05.2012
आदेश की तिथि: 11.05.2012

आदेश

श्री एच.एल. कारवा, उपाध्यक्ष के अनुसार

निर्धारिती द्वारा दायर ये दोनों अपीलें आयकर आयुक्त अपील(1), लुधियाना के दिनांक 13.09.2011, निर्धारण वर्ष 2000-2001 के पृथक आदेशों के विरूद्ध निर्देशित है।

2. इन अपीलों में निर्धारिती ने समान आधार लिए:

(i) यह कि, विद्वान आयकर आयुक्त(अ) ने धारा 80 एच एच सी तहत कटौती के मुद्दे का निर्णय करने में और विशिष्ट निर्देश का ना मानते हुए, उसे यथावत रखने में चूक की, कि निर्धारण अधिकारी बाम्बे हाई कोर्ट की विशेष न्यायपीठ द्वारा टोपमैन एक्सपोर्ट के मामले का आधार बनाते हुए माननीय अधिकरण के विरूद्ध निर्णय में, निर्धारण अधिकारी विशिष्ट निर्देशों को ना मानते हुए अपने अधिकारी क्षेत्र से बाहर गए।
(ii) यह कि, विद्वान आयकर आयुक्त अपील ने डी.ई.पी.बी./डी.एफ.आर.सी. लाइसेंस पर धारा 80 एच एस सी के तहत कटौती को मंजूरी देते हुए दोबारा भी चूक की।
(iii) यह कि, अपीलीर्थी यह चाहता है कि, अपील की सुनवाई और अंतिम निपटान से पहले अपील के आधारों को या तो संशोधित किया जाए।

3. पहले हम, निर्धारण वर्ष 2000-2001 से संबंधित निर्धारिती की अपील लेते हैं।

4. संक्षेप में कहा जाए तो मामले के तथ्य यह हैं कि, निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2000-2001 में रू. 1,11,247 की कुल आय घोषित करते हुए दिनांक 31.10.2000 को आयकर विवरणी दायर की। बाद में, आयकर अधिनियम 1961 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 143(3) के तहत आदेश जांच के लिए चुना गया जो रू. 497206 की आय पर दिनांक 31.03.2003 को पारित किया गया। निर्धारण करते समय निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 80 एच एच सी के तहत मांगी गई कटौती को नामंजूर कर दिया। निर्धारण अधिकारी कटौती को नामंजूर करने से धारा 80 एच एच सी के संशोधन दिनांक 1.04.1990 को पूर्वलक्षी प्रभाव देते हुए, यह माना कि निर्धारिती द्वारा डी.ई.पी.बी. के स्थानांतरण को प्राप्त किए गए मुनाफे को अधिनियम की धारा 28 के क्लाज (111) डी के तहत शामिल किया गया। आयकर आयुक्त (अ) ने निर्धारिती द्वारा दायर अपील मंजूर कर ली जिसके विरूद्ध राजस्व अपील कर रहा है। निर्धारण अधिकारी को यह निर्देश देते हुए कि धारा 28 और 80 एच एच सी के संशोधनो को ध्यान में रखते हुए धारा 80 एचएचसी के तहत कटौती की गणना करे। फिर से, आदेश दिनांक 19.03.2001 धारा 143(3) के तहत पारित कर दिया गया जिसमें निर्धारण अधिकारी ने कटौती नामंजूर कर दी। जिसका दावा निर्धारिती द्वारा धारा 80 एच एच सी के तहत इन आधारों पर किया कि निर्धारिती ने धारा 80 एच एच सी के तीसरे प्रावधान में दी गई दशाओं को पूरा नहीं किया और निर्धारिती की आय का निर्धारण रू. 2,50,0250 पर कर दिया। निर्धारिती ने आयकर आयुक्त अपील लुधियाना के समक्ष अपील की जिन्होने

निर्धारिती की अपील खारिज कर दी। निर्धारिती ने पुनः अधिकरण के समक्ष अपील की और अधिकरण के आदेश दिनांक 31.08.2009 आई.टीए सं. 05/चंडी/2008 के अनुसार निर्धारण अधिकारी को यह मामला वापस भेज दिया कि इसका मुंबई विशेष न्यायपीठ द्वारा टौपमैन एक्सपोर्ट बनाम आईटीओ 142 आई टी आर 5769/मुं/06 के मामले में और कल्पतरू कलर्स एंड केमिकल्स मुंबई बनाम अतिरिक्त आयकर आयुक्त अपील(2) मुंबई, आईटीए 5851/मुं/2001 के आदेश दिनांक 11.08.09 के अनुसार इसका निर्णय दें। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने आदेश, दिनांक 24.12.10 के अनुसार निर्धारण कर दिया जबकि उन्होने रू. 2,50,02250 की रकम पर फिर से निर्धारण कर दिया। जो वास्तविक निर्धारण आदेश में निर्धारिती की गई आय थी।

5. अपील में, आयकर आयुक्त अपील ने निर्धारिती के दावे को खारिज कर दिया, यह अवलोकन करते हुए किः

"7. मैंने माननीय उच्च न्यायलय के आदेश का अवलोकन किया जो वास्तव में निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश में उद्धृत किया गया। आदेश को पढ़ कर यह लगता है कि माननीय न्यायपीठ बाम्बे उच्च न्यायालय द्वारा आयकर आयुक्त बनाम कल्पतरू कलर्स एंड केमिकल्स के निर्णय से सहमत हैं और तदनुसार आयकर अपीलीय अधिकरण का निर्देश देते हैं कि न्याय के अनुरूप आदेश पारित करें। जैसा कि, निर्धारण अधिकारी ने माननीय न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय के निर्णय को सराहा और धारा 80 एच एच सी के तहत कटौती की सही गणना की।

6. हमने प्रतिद्वंदी निवेदनों को सुना और रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया। शुरूआत ही में निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता, श्री सुधीर सेहगल, ने यह प्रस्तुत किया कि, यह मुद्दा कभी उठाया ही नहीं गया। निर्धारण अधिकारी को यह निर्देश देते हुए कि धारा 28 और 80 एच एच सी के तहत कटौती की गणना करें। फिर से, दिनांक 19.03.2001 को धारा 143(3) के तहत आदेश पारित कर दिया, जिसमें निर्धारण अधिकारी ने कटौती नामंजूर कर दी। जिसका दावा निर्धारिती द्वारा धारा 80 एच एच सी के तहत इन आधारों पर किया कि निर्धारिती ने धारा 80 एचएचसी के तीसरे प्रावधान में दी गई दशाओं को पूरा नहीं किया और निर्धारिती की आय का निर्धारण रू. 23250,0250 पर कर दिया। निर्धारिती ने आयकर आयुक्त(अ) लुधियाना के समक्ष अपील की जिन्होने निर्धारिती की अपील खारिज कर दी। निर्धारिती ने पुनः अधिकरण के समक्ष अपील की और अधिकरण के आदेश दिनांक 31.08.2009 आई टी ए 05/चंडी/2008 के अनुसार निर्धारण अधिकारी के पास यह मामला वापस भेज दिया कि इसका मुंबई न्यायपीठ द्वारा टौपमैन एक्सपोर्ट बनाम आयकर अधिकारी 142 आई टी 5769/मु/2006 के आदेश दिनांक 24.12.10 के अनुसार निर्धारण कर दिया जबकि उन्होने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के टोपमैन एक्सपोर्ट बनाम आयकर आयुक्त मुंबई के सिविल अर्जी सं. 1699/2012 एसएलपी(सिविल) सं. 26588-2010 और अन्य 8 फरवरी, 2012 के निर्णय के अनुसार जो 67 डीटीआर 2012 (सुको) 185 में निर्णय को दरकिनार कर दिया और बाम्बे हाई कोर्ट के आदेशों को आयकर आयुक्त बनाम कल्पतरू कलर्स एंड केमिकल्स (2010)328 आई टीआर 451 में टोपमैन एक्सपोर्ट और अन्य संबंधित अपीलें। हमारे समक्ष सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति दायर की गई। श्री सुधीर सेहगल निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निर्धारण अधिकारी को यह मुद्दा वापिस कर दिया जाए यह निर्देश देकर कि इसका निर्णय न्याय अनुरुप नए सिरे से किया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टोपमैन एक्सपोर्टस बनाम आयकर आयुक्त मुंबई (सुप्रा) में दिए गए अनुपात के अनुसार डी.ई.पी.बी./डी.एफ.आर.सी लाइसेंसो पर धारा 80 एच एच सी तहत कटौती की गणना की जाए। इस मामले में जिस तरह उक्त सर्वोच्च न्यायालय के मामले का संदर्भ दिया गया है। हमें श्री सुधीर सेहगल का निवेदन ठोस लगता है, और इसलिए हम आयकर आयुक्त अपील के आदेश को एक तरफ रखते हुए निर्धारण अधिकारी के पास यह वापस भेजते हैं, इस निर्देश से कि टोपमैन एक्सपोर्टस बनाम आयकर आयुक्त मुंबई, (2012)67 डी टी आर (सु.को)185 में दर्ज निर्णय को ध्यान में रखते हुए, उक्त निर्णय नए तरीके से किया जाए। निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती को अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए। सांख्यकीय प्रयोजनों से अपील मंजूर की जाती है।

7. परिणामतः सांख्यकीय प्रयोजनों से अपील मंजूर की जाती है।

8. आईटीए सं. 320/चंडी/2012

इस मामले में, निर्धारण करते समय निर्धारण अधिकारी ने आयकर अधिनियम की धारा 80 एच एच सी के तहत कटौती के दावे को नामंजूर कर दिया गया। निर्धारण अधिकारी ने कटौती नामंजूर करते समय धारा 80 एच एच सी का संशोधन दिनांक 01.04.98 को पूर्वलक्षी प्रभाव देते हुए यह कहा कि, निर्धारिती द्वारा डी.ई.पी.बी. के स्थानांतरण से प्राप्त लाभ को क्लाज 111(डी) के तहत सम्मलित किया गया अधिनियम की धारा 28 के तहत आयकर आयुक्त अपील ने आदेश दिनांक 06.02.08 के अनुसार मामले का निर्णय धारा 28 के तहत आयकर आयुक्त अपील ने आदेश दिनांक 06.02.08 के अनुसार मामले का निर्णय धारा 80 एचएचसी के तहत कटौती को मंजूरी पर निर्णय दे दिया। डी.ई.पी.बी. के संबंध में विद्वान आयकर आयुक्त अपील ने निर्धारण अधिकारी के कृत की पुष्टि की। यह अवलोकन करते हुए कि निर्धारिती ने आवश्यक दशाओं को पूरा नहीं किया टैक्सेशन ला (संशोधित) अधिनियम 2005 में शामिल किए गए तीसरे प्रावधान के अनुसार विद्वान आयकर आयुक्त (अ) ने निर्धारण अधिकारी के

कृत की पुष्टि की डी.ई.पी.बी की रू. 9610660 की रकम का 90 प्रतिशत हटाते हुए। निर्धारिती के व्यवसाय से प्राप्त लाभ में से कटौती की गणना धारा 80 एच एच सी के तहत करने से। शुल्क की वापसी के संबंध में, विद्वान आयकर आयुक्त अपील ने निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिया कि धारा 80 एच एच सी के कटौती मंजूर की जाए शतक से संबंधित को निर्यात प्रेरक माना जाए। पुनः कोटा लाइसेंस की खरीद का संबंध है जो रू. 1,09,040 है विद्वान आयकर आयुक्त अपील ने निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिया कि इस आय के संबंध में धारा 80 एचएचसी के तहत कटौती मंजूर कर दी, आयकर अपीलीय अधिकरण चंडीगढ़ पीठ द्वारा सहायक आयकर आयुक्त बनाम डी. के. निटवेयर के मामले में दिए निर्णय दिनांक 22.08.05 का अनुसरण करते हुए।

9. निर्धारिती अधिकरण के समक्ष अपील करता है और अधिकरण आईटीए 346/चंडी/2008 में आदेश दिनांक 31.08.09 को इस मामले को निर्धारण अधिकारी को यह वापस भेज दे। जिससे इसका निर्णय आयकर अपीलीय अधिकरण मुंबई की विशेष न्यायपीठ द्वारा टोपमैन एक्सपोर्ट बनाम आयकर अधिकारी 14(2) के मामले में 5769/मुं/2006 और मे. कल्पतरू कलर्स एंड केमिकल्स मुंबई बनाम अतिरिक्त आयकर आयुक्त 13(2), मुंबई आई.टी.ए. 5851/मुं/2006 दिनांक 11.08.2009 हालांकि निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 27.12.2010 के अनुसार निर्धारण किया। जबकि उन्होने फिर धारा 80 एच एच सी के तहत कटौती देने से मना कर दिया जिसका निर्धारण द्वारा उसकी आयकर विवरणी में दावा किया गया। अपील करने पर आयकर आयुक्त अपील निर्धारिती के दावे को निम्न अवलोकन द्वारा खारिज कर दिया।

10. इस अपील में, शामिल मुद्दा आई टी ए सं. 319/चंडी/12 के समान है, इसलिए आई टी ए 319/चंडी/12 में दिया गया निर्णय इस अपील में लागू होता है और समान प्रभाव से यह अपील भी सांख्यकी प्रयोजनों से मंजूर की जाती है।

आदेश खुले न्यायपीठ में 11 मई, 2012 को सुना दिया गया।

हस्ता-/	**हस्ता-/**
(टी.आर. सूद)	**(एच.एल. कार्वा)**
लेखा सदस्य	**उपाध्यक्ष**

दिनांकः 11 मई, 2012

आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठें "ए" मुंबई में
श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, न्यायिक सदस्य एवं
श्री डी. करुणाकर राव, लेखा सदस्य के समक्ष

आय.अपी.सं. 494/मुं/2012
निर्धारण वर्ष 2002-03

श्री कादर खान, 102, राजकमल, हस्नाबाद लेन, सांताक्रुझ (वे), मुंबई – 400054 स्थायी खाता सं.- AAEPK1529Q अपीलार्थी	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त- 11(1), मुंबई प्रत्यर्थी

निर्धारिती की ओर सेः श्री श्रे जोशी
राजस्व की ओर सेः श्री मनोज कुमार

सुनवाई की तारीख 21.01.2013
उदघोषणा की तिथिः 31.01.2013

आदेश

श्री दिनेश कुमार अग्रवाल ,न्यायिक सदस्य के द्वारा

निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत यह अपील कर निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए आयकर अधिनियम, 1961(अधिनियम) की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित रू. 57738/- की शास्ति की पुष्टि करते हुए पारित विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-3, मुंबई के आदेश दिनांक 14.11.11 के विरूद्ध निर्देशित है।

2. मामले का संक्षिप्त कथित तथ्य है कि निर्धारिती एक सिनेमा अभिनेता है। कुल आय रू. 45,96,944/- घोषित करते हुए विवरणी प्रस्तुत किया था। निर्धारण कार्रवाई के दौरान, निर्धारण अधिकारी ने पाया कि निर्धारिती ने राजकमल कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड में सं. 102 एवं 104 वाले स्वामित्व वाले फ्लैट दिखाए। इन दो फ्लैटों में से, फ्लैट सं. 102 निर्धारिती के आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। निर्धारण अधिकारी ने यह भी पाया कि रू. 20,89,250/- बही मूल्य वाले दूसरा फ्लैट सं. 104 निर्धारिती द्वारा कराधान के लिए नहीं दर्शाया। तदनुसार, उक्त फ्लैट को किराए में दिया समझा गया संपत्ति के रुप में निर्धारण अधिकारी द्वारा विचार किया गया। निर्धारण अधिकारी ने अतः बही मूल्य रू. 20,89,250/- का 6% की दर पर ए.एल.वी. की संगणना की एवं उक्त घर संपत्ति से रू. 1,25,355/- का शुद्ध आय का परिकलन किया। निर्धारण अधिकारी, खर्चों में से कुछ अन्य नामंजूरी करने के बाद, अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 11.03.2005 द्वारा आय रू. 47,41,640/- पर निर्धारण किया गया। निर्धारण पूरा करते हुए निर्धारण अधिकारी ने, अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत शास्ति कार्रवाई भी शुरू की एवं तदनुसार निर्धारिती से यह पूछा गया कि धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत शास्ति क्यों नहीं अधिरोपित किया जाए। निर्धारिती द्वारा स्पष्टीकरण के अभाव में, निर्धारण अधिकारी ने यूनियन आफ इंडिया बनाम धर्मेन्द्रा टेक्सटैल प्रोसेसर्स (2008) 306 आईटीआर 218 (उच्चतम न्यायालय) के निर्णय पर निर्भर करते हुए अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत दिनांक 09.03.2009 को पारित आदेश द्वारा रू. 57,738/- की शास्ति अधिरोपित किया। अपील में, विद्वान आयकर आयुक्त (अ) ने पाया कि पूर्व वर्षों में अपीलार्थी ने फ्लैट सं. 104 से संबंधित घर संपत्ति से आय दिखायी थी, विचाराधीन वर्ष के दौरान, अपीलार्थी ने उक्त घर संपत्ति से कोई आय का प्रकटीकरण नहीं किया है, अतः निर्धारण अधिकारी किराए पर दिया गया रूप में अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत घर संपत्ति से आय रू. 1,25,355/- का प्राक्कलन करने में ठीक था, निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति की पुष्टि की।

3. विद्वान आयकर आयुक्त (अ) के आदेश से व्यथित होकर, निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 271(1) (सी) के अंतर्गत अधिरोपित शास्ति को सही ठहराने वाले सभी आधारों का आक्षेप करते हुए निर्धारिती अपील में हमारे समक्ष है।

4. सुनवाई के समय, निर्धारिती का विद्वान वकील प्रस्तुत किया कि शास्ति उस आय में अधिरोपित किया गया है जो घर संपत्ति से माना गया आय निर्धारित किया है एवं वह भी अभिलेख का सबूत सुझाया कि निर्धारिती ने पूर्व वर्षों में उक्त घर संपत्ति

किराए पर दिया था एवं घर संपत्ति से आय प्रस्थापित किया था। शुरू वर्ष को दौरान से, उक्त संपत्ति किराए पर नहीं दे पाया, अतः इस वास्तविक विश्वास के अंतर्गत, कर के लिए आय नहीं प्रस्तावित किया था। उन्होने, अतः प्रस्तुत किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति एवं विद्वान आयकर आयुक्त (अ) द्वारा सही ठहराया निकाल दिया जाए। विद्वान वकील ने श्रीमती रिश्वा रानी बनाम सहायक आयकर आयुक्त (2009) 184 टैक्समैन 140 (चंडीगढ़) (मैग) एवं कमलाकार मनोहर हवेल बनाम आयकर अधिकारी, आयकर अपील सं. 1170 से 1173/पीएन/2010, निर्धारण वर्ष 2000-01 से 2004-05 के मामले में दिनांक 30.12.2011(पूणे पीठ) को पारित आदेश के निर्णय पर भी भरोसा(Reliance) रखा।

5. दूसरी तरफ, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निर्धारण अधिकारी एवं विद्वान आयकर आयुक्त आयुक्त(अ) के आदेश का समर्थन किया।

6. हमने दोनों पक्षकारों के प्रस्तुतियों का ध्यानपूर्वक विचार किया एवं अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया। हम पाते हैं कि यह तथ्य विवादित नहीं है कि निर्धारिती ने पूर्व वर्षों में प्राप्त किराए के आधार पर फ्लैट सं. 104 से संबंधित घर संपत्ति से प्राप्त आय दर्शायी थी। निर्धारिती के अनुसार विचाराधीन वर्ष से उक्त फ्लैट खाली रहा, निर्धारिती द्वारा कोई किराया प्राप्त नहीं किया है। अतः निर्धारिती द्वारा कोई आय नहीं दिखाया गया था क्योंकि निर्धारिती इस वास्तविक विश्वास में था कि अधिनियम के अंतर्गत उक्त संपत्ति से आय दिखाने का उत्तरदायित्व निर्धारिती का नहीं है। यह राजस्व का मामला नहीं है कि अतीत में निर्धारिती ने उक्त संपत्ति से किराया आय नहीं दिखाया था या विचाराधीन वर्ष के दौरान निर्धारिती ने उक्त संपत्ति से किराया आय स्वीकार किया।

7. माननीय एपेक्स न्यायालय ने दिलीप एन. शरॉफ बनाम संयुक्त आयकर आयुक्त (2007) 291 आई.टी.आर. 519 (उच्चतम न्यायालय) एवं यूनियन आफ इंडिया बनाम धर्मेन्द्रा प्रोसेसर्स (2008) 306 आई.टी.आर. 277 (उच्चतम न्यायालय) सहित विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के उपरांत आयकर आयुक्त बनाम रिलायंस पेट्रोप्रोडक्टस प्रा. लि. (2010) 322 आई.टी.आर. 158 (उच्चतम न्यायायल) के मामले में निम्नलिखित पाया एवं अभिनिर्धारित किया (page 158 शीर्ष टिप्पण)-

> "A glance at the provisions of section 271(1)(c) of the Income- tax Act, 1961, suggests that in order to be covered by it, there has to be concealment of the particulars of the income of the assessee. Secondly, the assessee must have furnished inaccurate particulars of his income. The meaning of the word "particulars" used in section 271(1)(c) would embrace the details of the claim made. Where no information given in the return is found to be incorrect or inaccurate, the assessee cannot be held guilty of furnishing inaccurate particulars In order to expose the assessee to penalty, unless the case is strictly covered by the provision, the penalty provision cannot be invoked. By no stretch of imagination can making an incorrect claim tantamount to furnishing inaccurate particulars. There can be no dispute that everything would depend upon the return filed y the assessee, because that is the only document where the assessee can furnish the particulars of his income. When such particulars are found to be inaccurate, the liability could arise. To attract penalty, the details supplied in the return must not be accurate, not exact or correct, not according to the truth or erroneous.Where there is no finding that any details supplied by the assessee in its return are found to be incorrect or erroneous or false there is no question of inviting the penalty under section 271(1)(c). A mere making of a claim, which is not sustainable in law, by itself, will not amount to furnishing inaccurate particulars regarding the income of the assessee. Such a claim made in the return cannot amount to furnishing inaccurate particulars".

8. कमलाकर मनोहर हवेल(उपर) के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था (पृष्ठ 5)-

> "In the present case before us, the explanation submitted by the assessee that the assessee had reflected all his 4 different house properties in the balance sheet and no actual rent was received from these properties has not been found by the A.O to be false. Admittedly, the addition on account of rental income from those house properties has been made on notional and estimate basis. Thus, it cannot be said beyond doubt that there was concealment of particulars of income or furnishing inaccurate particulars thereof on the part of assessee towards the income from those house property to attract the penal provision u/s. 271(1)(c) of the Act. On having gone through the provisions of Explanation 1 reproduced hereinabove, we also note that

there is word "or" between the clauses (A) and (B) to the Explanation 1 of the Section 271(1)(c) of the Act. We are thus of the view that there was no justification for the A.O to levy penalty in question, upheld by the Ld CIT(A). We thus while setting aside orders of the authorities below in this regard direct the A.O to delete the penalty in question levied during the A.Ys. under consideration. The ground is accordingly allowed in favour of the assessee".

9. निर्धारिती द्वारा दिखाया वास्तविकता को गलत या असत्य पाया दिखाने के लिए राजस्व द्वारा अभिलेख में कोई विपरीत सामग्री के अभाव में, हम उपर्युक्त निर्णयों के अनुपात का सादर अनुसरण करते हुए अभिनिर्धारित करते हैं कि निर्धारिती के पक्ष में कोई छिपाव नहीं है जो अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत शास्ति की उद्ग्रहण करता है एवं तदनुसार निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित एवं विद्वान आयकर आयुक्त (अ) द्वारा स्थिर किया गया शास्ति निकाल दिया जाता है। अतः निर्धारिती द्वारा लिया गया आधार मंजूर किया जाता है।

10. फलस्वरुप, निर्धारिती की अपील मंजूर की जाती है।

आदेश की उदघोषणा दिनांक 31.01.2013 को की गई।

हस्ता/-	हस्ता/-
(डी. करूणाकर राव)	**(दिनेश कुमार अग्रवाल)**
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

मुंबई, दिनांक 31.01.2013

आयकर अपीलीय अधिकरण, बेंगलूरू न्यायपीठ "क"
श्री एन.के. सैनी, लेखा सदस्य एवं
श्रीमती पी. माधवी देवी, न्यायिक सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 517/बैंग/2011
(निर्धारण वर्षः 2003-04)

मे. कोमविवा टेक्नोलजीस लि.,
पहले, मे. जडायु सॉफ्टवेयर प्रा.लि.
नं-4, 12 के.एम. बेल्लारी रोड, जक्कूर
बेंगलूरु – 560064
PAN No. AAACJ 7573Q

.....अपीलार्थी

बनाम

आयकर सहायक आयुक्त 11(5),
बेंगलूरू.

.....प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर सेः श्री बी.एस. रवीन्द्रनाथ, सी.ए.
प्रत्यर्थी की ओर सेः श्री शरवन बी., सहा.आ.आयुक्त

सुनवाई की तिथिः 14.05.2012
उद्घोषणा की तिथिः 14.05.2012

आदेश

श्रीमती पी. माधवीदेवी, न्यायिक सदस्य द्वारा

यह निर्धारिती द्वारा फाइल की गई अपील है। यह अपील आयकर आयुक्त(अ)-1, बेंगलूरु, दिनांक 03.02.2011 के आदेश के विरूद्ध निदेशित है। यह अपील आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271(1)(सी) के तहत शास्ति आदेश से उदित है।

2) प्रस्तुत अपील में निर्धारिती, अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के तहत निर्धारण अधिकारी द्वारा उद्गृहीत शास्ति की पुष्टि करनेवाले आयकर आयुक्त(अ) के आदेश से व्यथित है।

3) इस मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि निर्धारिती कंपनी सॉफ्टवेयर विकसित करने, सॉफ्टवेयर उत्पन्नों के विक्रय एवं इंटग्रेटड साल्यूशन्स के कारोबार करती है। वह निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए दिनांक 28.11.2003 को रू. 2,63,400/- की आय की घोषणा कर अपने आय विवरणी प्रस्तुत की। धारा 143(3) के तहत निम्न अस्वीकृतियां कर दिनांक 13.03.2006 को निर्धारण संपूर्ण कर दिया।

क) रू. 38,38,181/- के डूबंत का क्लेम
ख) विदेशी शाखा से लाभ(ग्रीस) (दोहरे कराधान परिहार समझौता से आय) रू. 5,63,099/- तक प्रतिबंधित।
ग) धारा 10ए के तहत कटौती की अस्वीकृति

4) निर्धारिती इन सारे अस्वीकृतियों के विरूद्ध आयकर आयुक्त(अ) के समक्ष अपील फाइल की। बाद में 5,63,099/- का दावा (दोहरे कराधान परिहार समझौता के तहत) निर्धारिती अपने आप वापस ले लिया। बाकी आधारों के अनुसार आयकर आयुक्त(अ) ने अपील खारिज की जिसके विरूद्ध निर्धारिती ने आयकर अपीलीय अधिकरण गए।

5) आयकर अपीलीय अधिकरण ने अपने 12.05.2010 के आदेश द्वारा डूबंत के मुद्दे पर अपील की अनुमति दी। तब तक निर्धारण अधिकारी ने जुर्माना कार्यवाही शुरू की और दोनो नामंजूरियों के कारण से धारा 271(1)सी के तहत जुर्माना उद्गृहीत की।

6) व्यथित निर्धारिती आयकर आयुक्त(अ) के समक्ष अपील करना उचित समझा और आयकर आयुक्त(अ) के ध्यान में आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा डूबंत के आधार पर दिए गए राहत को भी लाया। तथापि आयकर आयुक्त(अ) ने देखा कि डूबंत के आधार पर जो नामंजूरी दी थी, वह आय के विवरण को छिपाने की कोटि में नहीं आता है और आय के छिपाने के आधार पर जुर्माना उद्ग्राह्य या स्थायी नहीं है, और यह आय का गलत विवरण देना है। उन्होने यह भी देखा कि निर्धारिती ने दोहरा कराधान परिहार समझौता के तहत क्लेम के लिए रिटर्ण या संशोधित रिटर्न में क्या दायर किया है, के लिए कोई प्रमाण प्रदान नहीं किया था, उनका वास्तविक विश्वास था, और ऐसे विवरण प्रस्तुत करने में उन्होने कोई लापरवाही नहीं की है। उन्होने देखा कि निर्धारिती ने जुर्माना क्यों उदग्रहीत न करने के लिए भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसलिए उन्होने जुर्माने का समर्थन किया।

7) व्यथित निर्धारिती हमारे समक्ष अपील में है।

8) निर्धारिती के विद्वान कांउसेल, निम्न प्राधिकारियों के समक्ष निर्धारिती द्वारा दिए निवेदन दोरहाते समय प्रस्तुत किया कि प्रमुख अस्वीकृति डूबंत के दावा करना है जिसे आयकर अपीलीय अधिकरण ने हटा दिया था। अतः उनके अनुसार, इस मुद्दे पर जुर्माना अब कोई महत्व नहीं रखता। भारत और ग्रीस के बीच के दोहरे कराधान परिहार समझौते के तहत जुर्माने के उद्गृहण के संबंध में उन्होने प्रस्तुत किया कि यह मामला परिवर्धन का नहीं है, दोहरा कराधान समाधान समझौते के प्रावधानों का निर्वचन में क्लेम की अस्वीकृति से संबंधित है, इसलिए आय के छिपाना एवं गलत विवरण प्रस्तुत करना नही कह सकते। उन्होने प्रस्तुत किया कि आयकर आयुक्त(अ) ने दंड की पुष्टि करते समय मामले के इस पहलू पर ध्यान देने में विफल रहे।

9) तथापि विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेश का समर्थन किया।

10) दोनो पक्षों को सुनने एवं विरोधी प्रतिवेदनों का ध्यान में लेने के बाद, हम पाते हैं कि आयकर आयुक्त(अ) के ध्यान में यह लाया था कि आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा डूबंत के आधार पर अस्वीकृति को हटाया था, लेकिन आयकर आयुक्त(अ) ने इस मुद्दे में भी निर्धारण अधिकारी द्वारा उद्गृहीत जुर्माने की पुष्टि की थी। आगे, हम यह पाते हैं, कि निर्धारिती द्वारा ग्रीस और भारत के बीच दोहरे कराधान परिहार समझौते के तहत जुर्माने के उद्गृहण के क्लेम की अस्वीकृति, कानून राय/व्याख्या के अंतर के कारण, गलत आय विवरण की प्रस्तुति या आय के छिपाने की कोटि में नहीं आता है, इसे भी, उचित परिप्रेक्ष्य में आयकर आयुक्त(अ) ने नही लिया। उसी को ध्यान में रखते हुए हम यह उचित मानते हैं कि मामले को कानून के अनुसार पुनर्विचार के लिए आयकर आयुक्त(अ) के फाइल में वापस भेज दी जाए। यह उल्लेख करना बेकार होगा कि निर्धारिती को सुनवाई का एक और मौका दी जाए।

11. परिणामस्वरुप, निर्धारिती द्वारा दाखिल यह अपील सांख्यिकीय कारणों से मंजूर की जाती है।

आदेश खुले न्यायापीठ में 14 मई, 2012 को उदघोषित की गई।

हस्ता/-	**हस्ता/-**
(एन.के.सैनी)	**(पी. माधवी देवी)**
लेखा सदस्य	**न्यायिक सदस्य**

दिनांकः 14 मई, 2012

आ.अ.अ., मुंबई में हिन्दी पखवाड़ा-2012 के छायाचित्र

हिन्दी पखवाड़ा का उदघाटन करते हुए श्री डी मनमोहन, माननीय उपाध्यक्ष (मुंबई) एवं श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, माननीय न्यायिक सदस्य एवं अध्यक्ष, रा.भा.का.स., मुंबई

हिन्दी पखवाड़े के उदघाटन समारोह के श्रोतागण

हिन्दी पखवाड़े के अवसर पर प्रश्न मंच प्रतियोगिता आयोजित करते हुए श्री आर. एस. स्याल, माननीय लेखा सदस्य एवं श्री विजय पाल राव, माननीय न्यायिक सदस्य

हिन्दी पखवाड़े के समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करते हुए श्री एच एल कारवा, माननीय अध्यक्ष

हिन्दी पखवाड़े के समापन समारोह में भाषाण देते हुए श्री एच एल कारवा, माननीय अध्यक्ष

हिन्दी पखवाड़े के समापन समारोह के अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन में कविता प्रस्तुत करते हुए अतिथि कवि श्री देवमणि पांडेय

हिन्दी पखवाड़े के समापन समारोह के अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन में कविता प्रस्तुत करते हुए अतिथि कवि श्री अरुण वर्मा

कवि सम्मेलन का आनंद उठाते हुए मुंबई पीठ के श्रोतागण